# C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)**
**No. 21, Friday, December 16, 2016/ Agrahayana 25, 1938 (Saka)**


| **S U B J E C T** | **P A G E S** |
|---|---|
| **ORAL ANSWER TO QUESTION** | |
| *Starred Question No. 421 | 9-12 |
| **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| Starred Question Nos. 422 to 440 | 13-67 |
| Unstarred Question Nos. 4831 to 5060 | 68-425 |


* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

**PAPERS LAID ON THE TABLE** 427-493

**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERAKINGS**
**15th and 16th Reports** 494

**PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE**
**60th to 63rd Reports** 494

**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES**
**9th Report** 495

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**
**Minutes** 495

**COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE**
**Minutes** 495

**COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN**
**8th Report** 496

**STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY**
**30th to 33rd Reports** 496-497

**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**
**32nd to 35th Reports** 498

**STANDING COMMITTEE ON COMMERCE**
**131st Report** 499

**STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**
**285th Report** 499

**STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY,ENVIRONMENT AND FORESTS**
**292nd and 293rd Reports** 500

**STATEMENTS BY MINISTERS**

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th, 43rd and 52nd Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the issues concerning three vaccine producing PSUs namely Central Research Institute, Kasauli, Pasteur Institute of India, Coonoor and Vaccine Laboratory (BCGVL), Chennai, pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare

**Shri Jagat Prakash Nadda** 501

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 122nd Report of the Standing Committee on Commerce on `Ease of Doing Business', pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry 502

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 126th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-17) (Demand No.12), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry 502

**Shrimati Nirmala Sitharaman**

**GOVERNMENT BILL-WITHDRAWN**

Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2015 503

**GOVERNMENT BILLS -INTRODUCED**

(i) Merchant Shipping Bill, 2016 504

(ii) Major Port Authorities Bill, 2016 505

**RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES BILL, 2016** 507-585

Motion to Consider 507-559

Shri Thaawar Chand Gehlot 507-509
554

Shri K.C. Venugopal 510-515

Dr. Manoj Rajoria 516-519

Prof. Saugata Roy 520-525

Shri Vinayak Bhaurao Raut 526-527

Shri Tathagata Satpathy 528-531

Shri Mulayam Singh Yadav 532-535

Dr. Ravindra Babu 536-538

Shrimati Kavitha Kalvakuntla 539-541

Shri Mohammad Salim 542-545

Shri Varaprasad Rao Velagapalli 546-548

Shri Kaushalendra Kumar 549

Shri Dushyant Chautala 550-551

Shri Rajesh Ranjan 552-553

Clauses 2 to 102 and 1 560-584

Motion to Pass 585

**VALEDICTORY REFERENCE** 586-588

**NATIONAL SONG** 588

**ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 589

Member-wise Index to Unstarred Questions 590-594

**ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 595

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 596

# OFFICERS OF LOK SABHA

## THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

## THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

## PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

## SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

**LOK SABHA DEBATES**

LOK SABHA

---

Friday, December 16, 2016/ Agrahayana 25, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Q. 421 – Kunwar Haribansh Singh.

… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने तय किया है कि 12 बजे बोलने का मौका देंगे।

…(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** माननीय अध्यक्ष जी, कल हम डिसकशन के लिए तैयार थे। ...(व्यवधान) The Minister of Parliamentary Affairs made reckless charges in our absence. That is not good… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** आप रोज एक ही विषय मत उठाइए। जब किसी को कुछ नहीं करना है तो आप चेयर को तंग मत करो।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Today is the last day of this Session.

**11.03 hours**

(*At this stage, Shri Ravneet Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

**11.04 hours**

## ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER: Q. 421 – Kunwar Haribansh Singh.

## (Q. 421)

**कुँवर हरिवंश सिंह:** माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने तथा काले धन पर काबू पाने के लिए जन-जन के प्रिय माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ी है।...(व्यवधान) जिस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था उसी प्रकार मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में नायक के रूप में उभरे हैं। मैं उन्हें देश की ओर से कोटि-कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं।...(व्यवधान)

डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए तथा जन-धन योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक खोले जा रहे हैं।...(व्यवधान) इनमें गरीबों का धन सुरक्षित रहे और ये बैंक किसी प्रकार की धोखाधड़ी करके गरीबों तथा सरकारी खजानों को चपत न लगा सकें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ...(व्यवधान)

**श्री संतोष कुमार गंगवार:** माननीय अध्यक्ष जी, इन सभी खाता धारकों को, जो इन बैंकों में अपना खाता खोलेंगे, पूरी बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, गरीब व्यक्तियों को सुविधाएं मिलेंगी। ...(व्यवधान) जब से हमारी सरकार आई है, देश में लोगों को पहली बार लगा है कि जन-धन योजना के अंतर्गत खाते खोले जा सकते हैं और करीब 25 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खोले हैं।...(व्यवधान) छोटे ऋण मिलें, 25 लाख रुपए के ऋण मिलें।...(व्यवधान) इनका धन सिक्योर रहेगा, इस हिसाब से कदम उठाए गए हैं। इसमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रिजर्व बैंक पूरी प्रभावी कार्रवाई करेगा। ...(व्यवधान)

**कुँवर हरिवंश सिंह:** माननीय अध्यक्ष जी, हाल ही में मीडिया में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कंट्रोलर जनरल आफ एकाउंट्स के हवाले से इस तरह की खबरें प्रकाशित हुई हैं कि ई-वॉलेट जैसे पेटीएम इत्यादि के माध्यम से रेलवे टिकट बुकिंग आदि भुगतान को भारत सरकार की संचित निधि अर्थात कन्सेलिडेटिड फंड आफ इंडिया में जमा करने तथा खातों के मिलान में कुछ तकनीकी समस्या है।...(व्यवधान) इन तकनीकी खामियों को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए ई-वॉलेट तथा लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक खोलने जा रहे हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार ने क्या निगरानी तंत्र विकसित किया है?...(व्यवधान)

**श्री संतोष कुमार गंगवार:** माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरा बैंकिंग का काम है, केवल इसमें छोटे ऋण मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत 25 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे।...(व्यवधान) जो भी आशंका आ रही है या शिकायत आ रही है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सही निराकरण भी किया जाएगा। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** क्या आप आज भी कुछ काम नहीं करना चाहते?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

**11.05 hours**

*The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.*

**12.01 hours**

*The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Twelve of the Clock.*

(Hon. Speaker *in the Chair*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Sarvashri Mallikarjun Kharge, Jyotiraditya M Scindia, K.C. Venugopal, Kodikunnil Suresh, Prof. Saugata Roy, Sarvashri Shailesh Kumar *alias* Bulo Mandal, N.K. Premachandran, Md. Badaruddoza Khan, Tariq Anwar, P.K. Biju and Dharmendra Yadav on different issues.

The matters though important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

**12.02 hours**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5965/16/16]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5966/16/16]

(3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the 24 institutions, mentioned therein, within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5966A/16/16]

**जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5967/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, on behalf of Shri Rao Inderjit Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hindustan Prefab Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5968/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5969/16/16]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Building Materials and Technology Promotion Council, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5970/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.976(E) in Gazette of India dated 7th October, 2016 under sub-section (3) of Section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

[Placed in Library, See No. LT 5971/16/16]

(2) A copy of the Notification No. S.O.1632(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th May, 2016 appointing the officers, mentioned therein, to exercise the functions of appellate authority under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 in respect of the industrial establishments under the control of Central Government or a Railways administration or a major port, mine or oil-field situated anywhere in India issued under Section 2 of the said Act together with a corrigendum thereto (in Hindi version only) published in Notification No. S.O.2676(E) dated 10th August, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5972/16/16]

(3) A copy of the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1115 (E) in Gazette of India dated 6th December, 2016, under sub-section (3) of Section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965.

[Placed in Library, See No. LT 5973/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5974/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5975/16/16]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5976/16/16]

(4) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Reports and Audited Accounts of the following institutions within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year 2015-2016:-

(i) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi.

(ii) National Institute of Ayurveda, Jaipur.

(iii) National Academy of Ayurveda, New Delhi.

(iv) National Institute of Siddha, Chennai.

(v) Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi.

(vi) National Institute of Naturopathy, Pune.

(vii) National Institute of Homoeopathy, Kolkata.

(viii) Central Council of Homoeopathy, New Delhi.

(ix) Central Council of Indian Medicine, New Delhi.

(x) Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Limited, Almora.

(xi) Central Council for Research in Siddha, Chennai.

(xii) National Institute of Unani Medicine, Bengaluru.

[Placed in Library, See No. LT 5977/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Balmer Lawrie Investments Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Balmer Lawrie Investments Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5978/16/16]

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Balmer Lawrie and Company Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Balmer Lawrie and Company Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5979/16/16]

(2) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the GAIL (India) Limited and the GAIL Gas Limited for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5980/16/16]

(3) A copy of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for city or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. M(1)T4S/CGD/1/2010 in Gazette of India dated 24th November, 2016 under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 5981/16/16]

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :**

(1) (एक) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5982/16/16]

(2) (एक) साहा इंस्टीच्यूट आफ न्यूकिलयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीच्यूट आफ न्यूकिलयर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5983/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5984/16/16]

(ख) (एक) न्यूकिलयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यूकिलयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5985/16/16]

(ग) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5986/16/16]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5987/16/16]

(5) (एक) इंस्टीच्यूट आफ प्लाजमा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीच्यूट आफ प्लाजमा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5988/16/16]

(6) (एक) एटामिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटामिक एनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5989/16/16]

(7) (एक) इंस्टीट्यूट आफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट आफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5990/16/16]

(8) इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5991/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5992/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cashew Export Promotion Council of India, Kollam, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cashew Export Promotion Council of India, Kollam, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5993/16/16]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5994/16/16]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5995/16/16]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Cochin, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5996/16/16]

(6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5997/16/16]

(b) (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5998/16/16]

(c) (i) Review by the Government of the working of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the ECGC Limited (Export Credit Guarantee Corporation of India Limited), Mumbai, for the year 2015-2016,

alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5999/16/16]

(d) (i) Review by the Government of the working of the STC Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the STC Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6000/16/16]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Footwear Design and Development Institute, Noida, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6001/16/16]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6002/16/16]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the DMIC Project Implementation Trust Fund, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the DMIC Project Implementation

Trust Fund, New Delhi, for the year 2014-2015.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 6003/16/16]

(11) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the India Trade Promotion Organisation and the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2016-2017).

[Placed in Library, See No. LT 6004/16/16]

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6005/16/16]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6006/16/16]

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6007/16/16]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for EOUs & SEZs, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6008/16/16]

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6009/16/16]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6010/16/16]

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6011/16/16]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tea Board India, Kolkata, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6012/16/16]

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6013/16/16]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6014/16/16]

(22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2015-2016.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6015/16/16]

(23) A copy of the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1094(E) in Gazette of India dated 26th November, 2016 under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005.

[Placed in Library, See No. LT 6016/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, on behalf of Shri Manoj Sinha, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bharat Broadband Network Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6017/16/16]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6018/16/16]

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनिल माधव दवे):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6019/16/16]

(3) (एक) जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6020/16/16]

(5) (एक) सलीम अली सेंटर फार औरनिथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फार औरनिथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6021/16/16]

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2413(अ) जो 4 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में दादरा और नगर हवेली वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(दो) का.आ. 607(अ) जो 24 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(तीन) का.आ. 608(अ) जो 24 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में कोटिगो वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(चार) का.आ. 555(अ) जो 17 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में नेटरावली वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(पांच) का.आ. 616(अ) जो 25 फरवरी 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में मडेई वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(छह) का.आ. 221(अ) जो 23 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(सात) का.आ. 615(अ) जो 25 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(आठ) का.आ. 230(अ) जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में करनाला वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(नौ) का.आ. 612(अ) जो 26 फरवरी 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नागजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(दस) का.आ. 1736(अ) जो 26 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट लेक पक्षी अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(ग्यारह) का.आ. 191(अ) जो 27 जनवरी, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में सुलतानपुर नेशनल पार्क के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(बारह) का.आ. 680(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(तेरह) का.आ. 2364(अ) जो 4 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में बांदीपुर नेशनल पार्क और व्याघ्र अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(चौदह) का.आ. 1601(अ) जो 16 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में भीतरकनिका नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(पन्द्रह) का.आ. 1659(अ) जो 22 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में कपिलाश वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(सोलह) का.आ. 2166(अ) जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में कंचनजंगा नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(सत्रह) का.आ. 2167(अ) जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में कीटाम पक्षी अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(अठारह) का.आ. 2168(अ) जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में क्योंगनोसला अल्पाइन वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(उन्नीस) का.आ. 2169(अ) जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में सिंगावा रोडोडेन ड्रोन वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(बीस) का.आ. 2170(अ) जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में मईनाम वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(इक्कीस) का.आ. 2171(अ) जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में फमबोगियों वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(बाईस) का.आ. 2172(अ) जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में बारसे रोडोडेन ड्रोन वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(तेईस) का.आ. 2173(अ) जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में पंगगोलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(चौबीस) का.आ. 2262(अ) जो 19 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में ओखला पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास

पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(पच्चीस) का.आ. 3549(अ) जो 30 दिसम्बर 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

(छब्बीस) का.आ. 1055(अ) जो 11 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में वीर मोतीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था।

[Placed in Library, See No. LT 6022/16/16]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6023/16/16]

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह) (सेवानिवृत्त) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) रिसर्च एंड इंफारमेशन सिस्टम फार डेवलपपिंग कंट्रिज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिसर्च एंड इंफारमेशन सिस्टम फार डेवलपपिंग कंट्रिज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6024/16/16]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(एक) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदनः-

(1) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा

[Placed in Library, See No. LT 6025/16/16]

(2) बडोदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच

[Placed in Library, See No. LT 6026/16/16]

(3) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग

[Placed in Library, See No. LT 6027/16/16]

(4) उत्कल ग्रामीण बैंक, बालनगीर

[Placed in Library, See No. LT 6028/16/16]

(2) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति बिन्दु) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 21 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए /12 / आरजीएल / 139/9 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6029/16/16]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भांडागारण वस्तुएं (हटाया जाना) विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514(अ) प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भांडागारण वस्तुएं (कस्टडी एंड हैंडलिंग आफ गुड्स) विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 515(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) विशेष भांडागारण वस्तुएं (कस्टडी एंड हैंडलिंग आफ गुड्स) विनियम, 2016 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 516(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पब्लिक भांडागारण लाइंसेंसिंग विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) प्राइवेट भांडागारण लाइसेंसिंग विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 518(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विशेष भांडागारण लाइसेंससिंग विनियम, 2016 जो 14 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 519(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6030/16/16]

(4) (एक) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6031/16/16]

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6032/16/16]

(2) (एक) नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइसेंज, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल अकादमी आफ मेडिकल साइसेंज, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6033/16/16]

(3) (एक) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6034/16/16]

(4) (एक) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6035/16/16]

(5) (एक) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6036/16/16]

(6) (एक) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6037/16/16]

(7) (एक) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6038/16/16]

(8) (एक) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, ऋषिकेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6039/16/16]

(9) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6040/16/16]

(10) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6041/16/16]

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6042/16/16]

(2) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6043/16/16]

(3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिस टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिस टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6044/16/16]

(4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6045/16/16]

(5) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), ओरंगाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), ओरंगाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6046/16/16]

(6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6047/16/16]

(7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6048/16/16]

(8) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट), आगरा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट), आगरा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6049/16/16]

(9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ हैंड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6050/16/16]

(10) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6051/16/16]

(11) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीच्यूटर फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीच्यूटर फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6052/16/16]

(12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्टिोनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्टिोनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6053/16/16]

(13) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (फैगरेंस एंड फलेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (फैगरेंस एंड फलेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6054/16/16]

(14) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फार डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फार डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6055/16/16]

(15) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6056/16/16]

(16) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6057/16/16]

(17) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।

[Placed in Library, See No. LT 6058/16/16]

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6059/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): On behalf of Shri Hansraj Gangaram Ahir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 26 of the National Investigation Agency Act, 2008:-

(i) S.O.2556(E) published in Gazette of India dated 27th July, 2016, regarding appointment of a Judge to Court II of Additional

District and Session Judge, Krishna at Vijayawada-cum-Metropolitan Sessions Judge, Vijaywada to preside over the Special Court under Section 11(3) of the National Investigation Agency Act, 2008.

(ii) S.O.2681(E) published in Gazette of India dated 11th August, 2016, regarding discontinuance the appointment of Shri Komuo Loso as Special Public Prosecutor appointed for the State of Nagaland under Section 11(3) of the National Investigation Agency Act, 2008.

(iii) S.O.2682(E) published in Gazette of India dated 11th August, 2016, regarding discontinuance the appointment of Shri G. S. Chatterji as Special Public Prosecutor appointed for the State of Rajasthan under Section 11(3) of the National Investigation Agency Act, 2008.

(iv) S.O.2683(E) published in Gazette of India dated 11th August, 2016, regarding discontinuance the appointment of Shri Akhileshwar Prasad Singh and Shri Sudhanshu Kumar Lal as Special Public Prosecutor appointed for the State of Bihar under Section 11(3) of the National Investigation Agency Act, 2008.

(v) S.O.3384(E) published in Gazette of India dated 4th November, 2016, regarding appointment of Special Public Prosecutors for various States conducting cases on behalf of the National Investigation Agency under Section 11(3) of the National Investigation Agency Act, 2008.

(vi) S.O.3442(E) published in Gazette of India dated 11th November, 2016, regarding appointment of a Judge to the Sessions Court for exclusive trail of Bomb Blast Cases, Chennai to preside over the Special Court under Section 11(3) of the National Investigation Agency Act, 2008.

(vii) S.O.3443(E) published in Gazette of India dated 11th November, 2016, appointing a Judge to the Special Court constituted under Section 11(1) of the National Investigation Agency Act, 2008.

(viii) S.O.3444(E) published in Gazette of India dated 11th November, 2016, appointing a Judge to the Special Court constituted under Section 11(1) of the National Investigation Agency Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 6060/16/16]

(2) A copy of the Notification No. S.O.2684(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 11th August, 2016, regarding specifying Shri Sudhir Kumar Saxena, Joint Secretary (IS-I) in the Ministry of Home Affairs as the designated Authority for the purposes of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 issued under sub-section (1) of Section 2 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 6061/16/16]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 6062/16/16]

(ख) (एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996 और 1996-1997 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996 और 1996-1997 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6063/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेशनल सिड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सिड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 6064/16/16]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) गुजरात स्टेट सिड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सिड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 6065/16/16]

(5) (एक) प्रोटेक्शन आफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) प्रोटेक्शन आफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) प्रोटेक्शन आफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6066/16/16]

(6) (एक) नेशनल कापरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल कापरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कापरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6067/16/16]

(7) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीच्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीच्यूट आफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6068/16/16]

(8) (एक) नेशनल हॉटीकल्चर बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हॉटीकल्चर बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6069/16/16]

(9) (एक) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6070/16/16]

(10) कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि.. 1059(अ) जो 10 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, में प्रकाशित फ्रूट्स एंड वेजिटेबलस ग्रेडिंग एंड मार्किंग (अमेंडमेंट) रूल्स, 2016, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6071/16/16]

(11) (एक) नेशनल कापरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल कापरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कापरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन (इम्पलाइज प्रोविडेंड फंड), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल कापरेटिव डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6072/16/16]

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी की ओर से निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6073/16/16]

(3) (एक) सिक्किम सर्व शिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सिक्किम सर्व शिक्षा अभियान, गंगटोक के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6074/16/16]

(5) (एक) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6075/16/16]

(7) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6076/16/16]

(9) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोयडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोयडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोयडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6077/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table a copy of the Assam Rifles Civil Staff Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.174 in weekly Gazette of India dated 27th August, 2016 under Section 167 of the Assam Rifles Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 6078/16/16]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6079/16/16]

(3) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणन्द के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणन्द के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6080/16/16]

(4) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ फिसर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ फिसर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6081/16/16]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्री वाई.एस. चौधरी की ओर से पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंस्टीच्यूट आफ लाइफ साइसेंज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंस्टीच्यूट आफ लाइफ साइसेंज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टीच्यूट आफ लाइफ साइसेंज, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6082/16/16]

(2) बायो टेक्नोलोजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायो टेक्नोलॉजी विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6083/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): I beg to lay on the Table a copy of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Conditions of Service and Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations,

2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. A-10/178/2012-PPC in Gazette of India dated 24th November, 2016 under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

[Placed in Library, See No. LT 6084/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6085/16/16]

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Cement Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Cement Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6086/16/16]

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bridge and Roof Company (India) Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Bridge and Roof Company (India) Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6087/16/16]

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6088/16/16]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Braithwaite and Company Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Braithwaite and Company Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6089/16/16]

(f) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the NEPA Limited, Nepanagar, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the NEPA Limited, Nepanagar, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6090/16/16]

(g) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Richardson and Cruddas (1972) Limited,

Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6091/16/16]

(h) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6092/16/16]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Automotive Testing and R &D Infrastructure Project, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Automotive Testing and R &D Infrastructure Project, New Delhi, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6093/16/16]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Richardson & Cruddas (1972) Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6094/16/16]

(ii) Memorandum of Understanding between the Cement Corporation of India Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6095/16/16]

(iii) Memorandum of Understanding between the Sambhar Salts Limited and the Hindustan Salts Limited (Holding Company) for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6096/16/16]

(iv) Memorandum of Understanding between the NEPA Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6097/16/16]

(v) Memorandum of Understanding between the Heavy Engineering Corporation Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6098/16/16]

(vi) Memorandum of Understanding between the Hindustan Salts Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6099/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 31 of 2016) – (Performance Audit) Land Management in Delhi Development Authority, Ministry of Urban Development.

[Placed in Library, See No. LT 6100/16/16]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 32 of 2016) – Railways for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 6101/16/16]

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 33 of 2016) – (Performance Audit) Management of Launch Services, Department of Space.

[Placed in Library, See No. LT 6102/16/16]

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 34 of 2016) – Accounts of the Union Government (Financial Audit) for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6103/16/16]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Union Government-Finance Accounts for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6104/16/16]

(ii) Union Government-Appropriation Accounts (Civil) for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6104A/16/16]

(iii) Union Government-Appropriation Accounts of the Defence Services for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6104B/16/16]

(iv) Union Government-Appropriation Accounts of the Postal Services for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 6104C/16/16]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016:-

(i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.831(E) in Gazette of India dated 29th August, 2016.

(ii) The Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.1108(E) in Gazette of India dated 30th November, 2016.

(iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 in Gazette of India dated 22nd November, 2016.

(iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG002 in Gazette of India dated 22nd November, 2016.

(v) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional) Regulations, 2016 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 in Gazette of India dated 23rd November, 2016.

(vi) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004 in Gazette of India dated 30th November, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 6105/16/16]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 462 of the Companies Act, 2013:-

(i) Draft Notification No. F. No. 01/02/2014-CL.V making certain amendments in the Notification No. G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015.

(ii) Draft Notification No. F. No. 01/01/2014-CL.V making certain amendments in the Notification No. G.S.R.464(E) dated 5th June, 2015.

(iii) Draft Notification No. F. No. 01/02/2014-CL-1 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.466(E) dated 5th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 6106/16/16]

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं:

(1)(एक) केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6107/16/16]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के वर्ष 2015-20116 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6108/16/16]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6109/16/16]

(4) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6110/16/16]

(6) (एक) नेशनल काउंसिल फौर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फौर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) नेशनल काउंसिल फौर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6111/16/16]

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6112/16/16]

(8) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6113/16/16]

(9)(एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कालागुर्गी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कालागुर्गी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6114/16/16]

(10)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6115/16/16]

(12) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6116/16/16]

(13) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाला यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाला यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6117/16/16]

(14) (एक) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर, के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6118/16/16]

(15) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, कोरापुट के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, कोरापुट के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, कोरापुट के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6119/16/16]

(16) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6120/16/16]

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6121/16/16]

(18) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 6122/16/16]

(19) एडसिल (इंडिया) लिमिटेड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौते ज्ञापन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6123/16/16]

(20) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6124/16/16]

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6125/16/16]

(22) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6126/16/16]

(23)(एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6127/16/16]

(24) (एक) इंदिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6128/16/16]

(25) (एक) डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6129/16/16]

(26)(एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6130/16/16]

(27)(एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6131/16/16]

(28)(एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भठिंडा के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भठिंडा के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6132/16/16]

(29)(एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6133/16/16]

(30) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6134/16/16]

(31)(एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6135/16/16]

(32) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 6136/16/16]

(33) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 6137/16/16]

(34) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण, कांचीपुरम की पहली संविधि जो 2 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3640(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण, जबलपुर की पहली संविधि जो 2 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3641(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण, ग्वालियर की पहली संविधि जो 2 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3639(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद जो 2 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3642(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) का.आ. 4000(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अटल बिहारी वाजपेयी- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के लिए अध्यादेश बनाए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 4001(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण, कांचीपुरम के लिए अध्यादेश बनाए जाने के बारे में है।

(सात) का.आ. 4002(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन और विनिर्माण, जबलपुर के लिए अध्यादेश बनाए जाने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 4005(अ) जो 13 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के लिए अध्यादेश बनाए जाने के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 6138/16/16]

(35) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के मध्य अकादमिक सहयोग के मानक का संवर्धन और अनुरक्षण) विनियम, 2016 जो 11 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 1-1/2012 (सीपीपी-दो) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6139/16/16]

(36) केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) अधिसूचना सं. 163 जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद् और अकादमिक परिषद् की गणपूर्ति और संरचना से संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि सं. 11, 12, 13 और 14 में संशोधन किया गया है।

(दो) अधिसूचना सं. 42 जो 24 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, राजस्थान से संबंधित कार्यकारी परिषद की गणपूर्ति और गठन, अकादमिक परिषद् की गणपूर्ति और गठन, विभागों का ब्यौरा विभागाध्यक्षों की नियुक्ति, योजना और निगरानी बोर्ड का गठन, स्कूल बोर्ड को क्रमशः यूनिवर्सिटी के प्राधिकरण, विद्यार्थी कल्याण और मरूस्थल अध्ययन की स्थापना को शामिल किए जाने संबंधी ब्यौरा से संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि सं. 11, 12, 15 (6) मं संशोधन और नई संविधि 40, 41, 42, 43 और 44 का निर्माण किया गया है।

(तीन) अधिसूचना सं. 275 जो 19 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा क्रमशः कार्यकारी परिषद् के गठन और ३ गणपूर्ति तथा अकादमिक परिषद् के गठन और गणपूर्ति से संबंधित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के संविधि सं. 11 और 13 में संशोधन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 6140/16/16]

(37) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण) संशोधन नियम, 2016 जो 17 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिनियम सं. सां.का.नि. 1076(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6141/16/16]

(38) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (यौन चेतना, महिला कर्मियों तथा विद्यार्थियों के यौन उत्पीड़न का निवारण और प्रतिषेध और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिकायत निवारण) विनियम, 2016, जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. एआईसीटीई/डब्ल्यूएच/2016/01 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक महाविद्यालय कोर्स और कौशल ज्ञान प्रदाता) (पहला संशोधन) विनियम, 2014, जो 4 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 7-6/डीडी-एडमिन/एनएसक्यूएफ/ 2013-दो में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) (पहला संशोधन) विनियम, 2012, जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-2/डी-एनएसक्यूएफ/यू.एसइंफ्रॉ/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (पाठ्यक्रम का नामकरण और तकनीकी संस्थाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश) विनियम, 2016, जो 14 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.पीएंडएपी/मैम/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षक तथा अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए योग्यता, वेतनमान, सेवा शर्तें, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) आदि से संबंधित कतिपय मुद्दे/विसंगति के बारे में स्पष्टीकरण, 2016 (पहला संशोधन) 2016, जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 27/रिफ्ड/पैस्केल/01/2013-14 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन दिया जाना) विनियम, 2016, जो 30 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एबी/एआईसीटीई/रेग./2016 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6142/16/16]

(39) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरूवरूर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरूवरूर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6143/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6144/16/16]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Insecticides Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hindustan Insecticides Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6145/16/16]

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6146/16/16]

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Madras Fertilizer Limited, Chennai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Madras Fertilizer Limited, Chennai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6147/16/16]

(e) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6148/16/16]

(f) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Projects and Development India Limited, Noida, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Projects and Development India Limited, Noida, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6149/16/16]

(g) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh, for the year 2015-2016,

alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6150/16/16]

(h) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Rashtriya Chemicals Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Chemicals Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6151/16/16]

(2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kolkata, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 6152/16/16]

(4) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 6153/16/16]

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्रीमती अनुप्रिया पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं :

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6154/16/16]

(2) निम्नलिखित केन्द्रों में से प्रत्येक के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान) बेंगलुरू।

[Placed in Library, See No. LT 6155/16/16]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र) चंडीगढ़।

[Placed in Library, See No. LT 6156/16/16]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(आर्थिक वृद्धि संस्थान) दिल्ली।

[Placed in Library, See No. LT 6157/16/16]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान) धारवाड़।

[Placed in Library, See No. LT 6158/16/16]

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(सांख्यिकी विभाग, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी) गुवाहाटी।

[Placed in Library, See No. LT 6159/16/16]

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान) डिंडीगुल।

[Placed in Library, See No. LT 6160/16/16]

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) लखनऊ।

[Placed in Library, See No. LT 6161/16/16]

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय) पटना।

[Placed in Library, See No. LT 6162/16/16]

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान) पुणे।

[Placed in Library, See No. LT 6163/16/16]

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(सामान्य और अनुपयुक्त भूगोल विभाग, डॉ. हरीसिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी) सागर।

[Placed in Library, See No. LT 6164/16/16]

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(केरल विश्वविद्यालय) तिरूवनंतपुरम।

[Placed in Library, See No. LT 6165/16/16]

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय) उदयपुर।

[Placed in Library, See No. LT 6166/16/16]

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(आंध्र विश्वविद्यालय) विशाखापट्टनम।

[Placed in Library, See No. LT 6167/16/16]

(चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र(पंजाब विश्वविद्यालय) चंडीगढ़।

[Placed in Library, See No. LT 6168/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955:-

(i) G.S.R.871(E) published in Gazette of India dated 8th September, 2016, regarding imposition of stock holding limit on producer of sugar.

(ii) G.S.R.932(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2016, regarding Factory-wise FRP of sugarcane for 2015-16.

(iii) The Sugarcane (Control) Second Amendment Order, 2016 published in Notification No. S.O.3093(E)/Ess.Com/Sugarcane published in Gazette of India dated 30th September, 2016.

(iv) S.O.3348(E) published in Gazette of India dated 28th October, 2016, regarding extension of tenure of imposition of stock holding limit and turnover limit on sugar.

[Placed in Library, See No. LT 6169/16/16]

(2) A copy of Notification No. S.O.3577(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th November, 2016, fixing the subsidised price at rupees 3 per kg for rice, rupees 2 per kg for wheat and rupee 1 per kg for coarse grains, for a period ending on 31st March, 2017 under sub-section (2) of Section 37 of the National Food Security Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 6170/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay on the Table :-

a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6171/16/16]

(2) (i) Review by the Government of the working of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6172/16/16]

**12.08 hours**

## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERAKINGS
## 15th and 16th Reports

**श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) :** अध्यक्ष महोदया, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) "इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)" संबंधी 15वां प्रतिवेदन ।

(2) "हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)" के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

---

**12.08 ½ hours**

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
## 60th to 63rd Reports

**श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) 2015 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 14 पर आधारित ''भारतीय रेल में लौह अयस्क यातायात के परिवहन हेतु द्वैध भाड़ा नीति की प्रदर्शन लेखा परीक्षा'' विषय पर 60वां प्रतिवेदन ।

(2) विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंध के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(3) 2015 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 43 पर आधारित ''रत्न और आर-सीरीज हाइड्रो कार्बन फिल्ड्स'' विषय पर 62वां प्रतिवेदन ।

(4) 2014 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 29 पर आधारित ''केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर में अभियोजन और शास्तियों का प्रशासन'' विषय पर 63वां प्रतिवेदन ।

---

**12.09 hours**

## COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
## 9th Report

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** गृह मंत्रालय से संबंधित 'विभिन्न संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित के रक्षोपाय के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन और संपर्क अधिकारियों का कार्यकरण' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 9वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**12.10 hours**

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
## Minutes

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** अध्यक्ष महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की वर्तमान सत्र के दौरान आयोजित 26वीं से 28वीं बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

**12.10 ¼ hours**

## COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE
## Minutes

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I beg to lay on the Table the minutes (Hindi and English versions) of the Sixth sitting of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House held on 8 December, 2016.

---

**12.10 ½ hours**

## COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
## 8th Report

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Madam, I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2016-17) on the Subject 'Empowering Women through Self Help Groups'.

---

**12.11 hours**

## STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
## 30th to 33rd Reports

SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): Madam, I beg to to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2016-17):-

(1) Thirtieth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-third Report (Sixteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2016-17) relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

(2) Thirty-first Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-fourth Report (Sixteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2016-17) relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(3) Thirty-second Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-fifth Report (Sixteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2016-17) relating to the Ministry of Electronics and Information Technology.

(4) Thirty-third Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-sixth Report (Sixteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2016-17) relating to the Ministry of Communications (Department of Posts).

---

**12.11 ½ hours**

## STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
## 32nd to 35th Reports

**श्री रमेश बैस (रायपुर):** अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) के 'राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति वित्त और विकास निगम के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर समिति (16वीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

---

**12.12 hours**

## STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
## 131st Report

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Madam, I beg to lay on the Table the 131st Report (Hindi and English versions) on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its One Hundred and Twenty-third Report on Export Infrastructure in India (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce.

---

**12.12 ¼ hours**

## STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
## 285th Report

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Madam, I beg to to lay on the Table the Two Hundred and Eighty-fifth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Human Resource Development on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 280th Report on Demands for Grants 2016-17 (Demand No. 51) of the Department of School Education and Literacy (Ministry of Human Resource Development).

---

**12.12 ½ hours**

## STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS
## 292nd and 293rd Reports

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH (GONDA): Madam, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests:-

(1) 292nd Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Report of the Committee on Demands for Grants (2016-17) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(2) 293rd Report on 'Forest Fires and its Effect on Environment, Forests, Bio-Diversity and Wildlife and Remedial/Preventive Measures'.

**12.13 hours**

## STATEMENTS BY MINISTERS

**(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 38th, 43rd and 52nd Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the issues concerning three vaccine producing PSUs namely Central Research Institute, Kasauli, Pasteur Institute of India, Coonoor and Vaccine Laboratory (BCGVL), Chennai, pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare***

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 38th, 43rd and 52nd Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the issues concerning three vaccine producing PSUs namely Central Research Institute, Kasauli, Pasteur Institute of India, Coonoor and Vaccine Laboratory (BCGVL), Chennai, pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6173/16/16

**12.13 ½ hours**

**(ii) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 122nd Report of the Standing Committee on Commerce on ` 'Ease of Doing Business', pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 122nd Report of the Standing Committee on Commerce on `Ease of Doing Business', pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

**(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 126th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-17) (Demand No.12), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 126th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2016-17) (Demand No.12), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6174/16/16 and 6175/16/16 respectively.

**12.14 hours**

**@MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL, 2015- Withdrawn**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, on behalf of Shri Nitin Gadkari, I beg to move for leave to withdraw a Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to withdraw a Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958."

*The motion was adopted.*

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Madam, I withdraw the Bill.

---

@ The Bill was introduced on 10 August, 2015 and referred to the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture for examination and report. The Report of the Committee was laid on the Table of Lok Sabha on 1 December, 2015. A Statement containing reasons for which the Bill is being withdrawn has been circulated to Members on 10 December, 2016 (Morning).

**12.15 hours**

## GOVERNMENT BILLS - Introduced

### (i) Merchant Shipping Bill, 2016*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, on behalf of Shri Nitin Gadkari, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with the country's obligation under the maritime treaties and International Instruments to which India is a party and also to ensure the efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with the country's obligation under the maritime treaties and International Instruments to which India is a party and also to ensure the efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest."

*The motion was adopted.*

SHRI PON RADHAKRISHNAN: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 16.12.2016.

## (ii) Major Port Authorities Bill, 2016*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, on behalf of Shri Nitin Gadkari, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation, operation and planning of Major Ports in India and to vest the administration, control and management of such ports upon the Boards of Major Port Authorities and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation, operation and planning of Major Ports in India and to vest the administration, control and management of such ports upon the Boards of Major Port Authorities and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

SHRI PON RADHAKRISHNAN: I introduce the Bill.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, this is an important Bill. Due to the situation in the House today, rushing this Bill would not be correct. So, it should go to the Standing Committee. This is the request from our side.

HON. SPEAKER: This has only been introduced. It is not being taken up for consideration now.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 16.12.2016.

**12.17 hours**

## RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES BILL, 2016

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam Speaker, I request the House to take up item no. 48, that is, the Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016 because that is the sense of the House.

HON. SPEAKER: Okay.

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।'

महोदया, हमारे देश में निःशक्त व्यक्ति अधिकार कानून वर्ष 1995 में बना था और उसके बाद वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने अनेक देशों के साथ बैठक करके विचार-विमर्श किया और निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए अनेक उपाय सुझाए। उस अनुबंध पर भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किये, अर्थात् जो अनुबंध वहाँ किया गया है, उसके अनुसार हमारे देश में भी दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।

ऐसा महसूस किया गया कि वर्ष 1995 का जो अधिनियम इस देश में लागू है, वह इनके सशक्तीकरण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसका अनुभव हमने पिछले सवा दो सालों में किया भी है। हालांकि हमने इस विभाग को जीवंत, सक्रिय और चैतन्य बनाने का काम किया है। लगभग साढ़े चार हजार कैम्प आयोजित करके पाँच लाख अस्सी हजार से अधिक दिव्यांग लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास भी किया गया है। इसमें अनेक कठिनाइयाँ भी महसूस की गयीं, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के तारतम्य में इसमें सुधार की आवश्यकता भी महसूस की गयी। तत्कालीन सरकार ने विचार-विमर्श करके एक बिल तैयार किया था और फरवरी, 2014 में उसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। राज्य सभा ने उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा। स्टैंडिंग कमेटी में उस पर विचार-विमर्श हुआ और वर्ष 2015 में उसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उस प्रतिवेदन के आधार पर हमने नया और अच्छा बिल बनाने का प्रयास किया है। स्टैंडिंग कमेटी ने

82 सुझाव दिये थे, उनमें से हमने 59 सुझावों को स्वीकार किया है। जो बिल हम ला रहे हैं, उसमें पुराने बिल की तुलना में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयास किया है।

पहले दिव्यांगों की केवल सात श्रेणियां होती थीं, इस बिल में सात की बजाय 21 श्रेणियां होंगी। जब 21 श्रेणियां हो जाएंगी तो इस देश का कोई भी दिव्यांग भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह पाएगा। सभी को भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनका तेज गति से सशक्तीकरण होगा।

महोदया, हमने इसमें आरक्षण की व्यवस्था की है। अभी तक दिव्यांग-जनों को भारत सरकार के मंत्रालय में तीन प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था है। इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न राज्यों में तीन प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि में 6 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। इस बिल में भी उसी प्रकार का प्रावधान किया गया है और तीन की बजाय चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। राज्यों से भी अपेक्षा है कि वह इसी प्रकार का प्रावधान राज्यों में भी करेंगे।

दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए केन्द्र और राज्यों के स्तर पर एक सलाहकार बोर्ड होगा, इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल में की गयी है। इसके साथ ही साथ आयुक्त प्रणाली को भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र और राज्य स्तर पर आयुक्त प्रणाली होगी, जो इनके सशक्तीकरण के लिए विचार-विमर्श करेगी। यदि कोई समस्या आती है तो उसके समाधान का निर्णय ले सकेंगे और वह सुदृढ़ और मजबूत निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। एक मुख्य आयुक्त होगा, दो आयुक्त होंगे और जो दो आयुक्त होंगे, उनमें एक दिव्यांग श्रेणी का होगा। यही फॉर्मूला राज्यों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है और इस बिल में उसका प्रावधान भी है। हमने इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अशक्तताओं को दूर करने के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान किए हैं। चिकित्सा सुविधा देने का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा की दृष्टि से हमारे यहां 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है। इस बिल में हमने 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को चार साल की अतिरिक्त छूट दी है। ऐसे ही अनेक प्रावधान हमने इस बिल के माध्यम से किए हैं।

मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह बिल पास होकर जब कानून बनेगा और कानून के अंतर्गत जब हम नियम बनाएंगे तो इनके सशक्तीकरण से संबंधित जो भी आवश्यक बातें होंगी, उन सबका उल्लेख हम इसमें करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनका सशक्तीकरण हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो निर्णय हुआ है, उसकी भावनाओं का हम इस बिल के माध्यम से सम्मान कर सकेंगे और उनका अनुपालन भी कर सकेंगे। हमारे देश में दिव्यांगों में अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं, उनको उजागर करने के लिए और उनको सुअवसर

देने का भी इसमें प्रावधान है। उनके लिए खेल-कूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का इसमें प्रावधान है। मैं अगर यह कहूं कि उनके सर्वांगीण विकास से संबंधित हर प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं तो गलत नहीं होगा।

मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए और इसको पारित करने की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you very much, Madam Speaker for giving me this opportunity to speak on one of the most important legislations relating to the rights of disabled persons, in this august House.

Madam, you know that from the day one onwards since 16th of last month, we have been trying to discuss the issues relating to the problems being faced by the common man in India due to the demonetization issue. But anyway, the Government is not ready to discuss that… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, kindly speak on the Bill.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, although every piece of legislation is important, yet this piece of legislation, which is dealing with the rights of the disabled persons, is the most important legislation and needs a special consideration. That is why, the entire Opposition also is agreeing with the Government to pass this Bill.

Madam, this Bill is being brought to comply with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities to which India became a signatory, which the hon. Minister has already mentioned.

Actually, this Bill was brought by Shri Mallikarjun Kharge-ji, the then Minister of Social Justice and Empowerment in 2014, when it was introduced in

Rajya Sabha. Then, it went to the Standing Committee and the Standing Committee, after thorough examination, gave its Report. Most of the suggestions of that Standing Committee have been incorporated in the Bill also. This is really one of the most important Bills. It also addresses most of the issues of the disabled persons. But there are certain lacunae also.

The hon. Minister also recognised two other disabilities, which previously, were not considered for which I really congratulate him. They are disabilities due to acid attacks and Parkinson's Disease. These are new things and I am really appreciating that they should be accorded also.

Persons with, at least, 40 per cent of disability are eligible for reservations in education and employment, and preference in Government schemes. Madam, I am here to speak on one of the very significant Bills on social inclusiveness and development.

The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016 addresses the concerns of arguably the most marginalised section of the Indian society. It covers as many as 19 conditions, which is nearly three times the number of disabilities according to 1955 law.

The previous Bill, as I already said, was introduced by Shri Kharge-ji, the then Minister concerned. The current Bill had added some more conditions to that Bill, and I wholeheartedly welcome this Bill and I would give some suggestions on this Bill.

This Bill will benefit a large number of individuals with multiple impairments, who are the most disadvantaged section of people amongst the citizens. In addition, I have already given 12 amendments on this Bill. I hope that the Government would consider those amendments.

Regarding reservation, the earlier Bill, which was introduced by Shri Mallikarajun Kharge-ji in 2014, had five per cent reservation. One can see that. But the present Government has reduced it from five per cent to four per cent. How can it be justified? On the one hand, they have already widened the number

of disabilities from 19 to 21. The earlier Bill had only 19 disabilities, and now it has 21. But the quota of reservation has been reduced from five per cent to four per cent! I would request that it should be increased.

Madam, as per the provisions of the Bill, what are the number of vacancy strength for disabilities? They are: (a) one per cent is for blindness and low vision; (b) one per cent is for deaf and hard of hearing; (c) one per cent is for locomotor disability including cerebral palsy, leprosy, cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; (d) one per cent is for autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; and (e) one per cent is for multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.

Madam, there are five categories of disabilities here in this Bill itself. But four per cent is there for five categories. At least, we should provide one percentage for each category. It was already stated in the earlier Bill. Why is the Government reducing it to four percentage ? I would, therefore, suggest that it should be made as five per cent.

Madam, as far as the concession of education is concerned, the Bill says that 'the appropriate Government and the local authorities shall endeavour that all educational institutions funded or recognised by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall--'

Madam, we all know that now, a large-scale educational institutions are in unaided sectors. But here, the Bill only provides the institutions funded or recognised by the Government, Government or Government-aided educational institutions. My point is that why should they not include unaided institutions also? I am appealing the Government to incorporate the unaided institutions also in the provision.

Madam, many Government schemes have been stated in this Bill and I welcome them. Under the Government schemes, the physically disabled persons

will get 25 per cent. But I am arguing that it should be increased from 25 per cent to 30 per cent.

Regarding job reservation, four per cent has been provided in the Bill. You have only given four per cent reservation. What you have said is: "Within the limits of their economic capacity and development". A condition has been imposed for reservation in the private sector. As far as the Government sector is concerned, it is okay but for reservation in private sector, a condition has been imposed, 'within the limits of their economic capacity and development'. That is a real excuse for them. Everybody will say that they are not economically viable and these old private institutions will give statistics accordingly. Therefore, that condition should be omitted. That is my suggestion. Nowadays, we are giving two per cent reservation for physically handicapped persons. What is happening? All the private institutions are not taking care of these things. It is implemented only in Government sector which is also not happening usually. Every private institution or company should also come into the purview of this Bill. Therefore, that economic condition or development condition is not needed in this legislation. That is my suggestion.

As far as the provision of Commissioner is concerned, a lot of verdicts have come from Supreme Court and various High Courts of the country that there is not much mandatory power for the Commissioner. That was the lacuna in the last Bill. Here also you are not giving sufficient powers to the Commissioner itself. The same thing is repeated here. Therefore, I am suggesting that more powers should be given to the Commissioners.

As far as the committees are concerned, you have the national level committees, the State level committees and the district level committees for the redressal of grievances and discussing other things. As far as the District level committees are concerned, there is no people's representative in these committees. In every committee, people's representative is there, then why are you avoiding MPs, MLAs and other representatives of the people in these district level

committees to sort out the issues? There are physically handicapped persons. Their welfare schemes are there. If there is any lacuna in their welfare schemes, we should have a thorough discussion at the district level committees itself. Therefore, people's representatives should be there in these district level committees also. There is no representation of Members of Parliament in the State level committees also. Therefore, in the State level Committee, the representation of Members of Parliament should also be there. That is my suggestion.

Madam, several favourable orders, given by the Chief Commissioners, have been quashed by the courts on the grounds that the Commissioners have no powers. This Bill is also dealing in the same manner. It should be changed. Actually, this Bill is brought with some major changes in the 1995 Act. I am totally agreeing with the view of the Government that this Bill has been introduced without any political advantage. This Bill was brought by UPA and you have made some more amendments. That is why this Bill is introduced here. This Bill will create a remarkable change in the lives of the disabled people of India. Therefore, Madam, with these suggestions and amendments, I am expecting that the hon. Minister will accept our humble amendments which will strengthen this legislation.

With these words, I am concluding my speech. I am supporting this Bill.

**डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):** अध्यक्ष महोदया, आज इस संसद सत्र में ऐसी खामोशी और एक अच्छा माहौल देख कर लग रहा है कि देश की जनता जिसकी उम्मीद कर रही थी कि देश हित में जो कार्य किए जाने चाहिए, वह हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो बिल आज माननीय मंत्री जी ने पेश किया है 'The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016', यह एक बहुत ही अच्छा बिल है।

मैं सर्वप्रथम तो मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस बिल में जो डिसेबिलिटी शब्द है, उसको अगर स्पेशली एबिलिटी शब्द में बदला जाए तो मैं सोचता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी का जो सपना था, वह पूरा हो सकता है कि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक कमी होती है, लेकिन फिर भी उसमें एक विशेष योग्यता होती है। उसी योग्यता को पहचान कर माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने शासनकाल में अपने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए कि जहाँ-जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ दिव्यांगों के लिए, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसा कार्य करें, ताकि वे अपने अधिकारों को समान रूप से पाकर समाज में सम्मानपूर्वक तरीके से जी सकें।

सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि इस विषय में उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी की भावना को समझा है। बहुत गम्भीरतापूर्वक कार्य करते हुए इस बिल को राज्य सभा ने भी एकमत होकर पास किया है। आज यह देश हित का पुण्य कार्य लोक सभा में भी हो रहा है। दिव्यांगों की संख्या देश में लगभग 7 से 10 करोड़ है और उन दिव्यांगों के हित में यह बिल आज लोक सभा में पेश किया जा रहा है।

महोदया, इस बिल में जो बातें आई हैं, चाहे वह आरक्षण की बात हो या अन्य कोई बात हो, सभी अच्छी हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि दिव्यांग जब अपनी किसी कमी की वजह से पैदा होता है, उसमें कोई शारीरिक कमी होती है, कोई मानसिक या बौद्धिक कमी होती है, जब वह पैदा होता है तो बचपन से ही उसके सामने समस्याएं और संकट आने लगते हैं। घर में अन्य बच्चे उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। जब वह स्कूल जाता है तो हो सकता है कि कुछ टीचर्स भेदभाव की भावना से उसको एडमिशन देने से भी मना करने की कोशिश करते होंगे। ऐसी अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। विशेषतौर से जिन बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों को मैंने देखा है, उनकी संस्थाओं में मैं गया हूँ, लोग उनसे घृणा करते हैं, उनको अवसर नहीं देते हैं। वे भी हमारे समान लोग हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनकी पीड़ा को समझकर इस बिल को आगे बढ़ाया है तो मैं सोचता हूँ कि यह बिल आने वाले समय में इस सरकार की संवेदनशीलता को, दिव्यांगों के प्रति आत्मसम्मान को बढ़ाने के कदम के रूप में सरकार का बहुत बड़ा बिल साबित होगा। इस बिल के अन्दर बहुत अच्छा काम किया गया है कि किस प्रकार से एक दिव्यांग व्यक्ति को समाज में

समानता से जीने का अधिकार है। उसके समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इस बिल में पूरे प्रावधान किये गये हैं। समाज के अन्य व्यक्तियों के समान उसको अधिकार दिये गये हैं। सरकार के इस कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों में किसी भी प्रकार का हनन कोई व्यक्ति या कोई संस्था न कर पाये।

जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम इस बिल के अन्दर शिक्षा के लिए किया गया है। जो दिव्यांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण था, इस बिल के माध्यम से मंत्री महोदय जी ने उसको चार प्रतिशत किया है। शिक्षण संस्थाओं को, चाहे वे किसी भी प्रकार की सरकारी शिक्षण संस्था हो, चाहे वे प्राइवेट शिक्षण संस्था हो, प्रत्येक शिक्षण संस्था में इन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उनकी पीड़ा को समझकर उन्होंने इस दिशा में कार्य किया है।

महोदया, दिव्यांग व्यक्ति के मन में होता है कि मैं भी देश के लोकतंत्र में अपना योगदान दूँ, लेकिन जब वह मतदान करने जाता है तो वहाँ भी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दिक्कतें उसके सामने आती हैं। लोकतन्त्र में उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी इस बिल में प्रावधान किये गये हैं, ताकि दिव्यांग व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार का पूरा उपयोग कर सकें। इसी प्रकार अगर दिव्यांग व्यक्ति को उसकी विधिक हैसियत में दिक्कत आती है, पहले ऐसा होता था कि जब परिवार में एक व्यक्ति दिव्यांग होता था, मानसिक रूप से भी दिव्यांग होता था या शारीरिक रूप से दिव्यांग होता था तो अगर एक घर में पाँच भाई हैं तो उस दिव्यांग व्यक्ति के साथ हमेशा भेदभाव होता था। जो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होते थे, उन्हें उनके अधिकार मिल जाते थे, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति, जो प्रकृति का मारा हुआ था, उसे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। इस बिल में उसकी जो कानूनी हैसियत है, उस कानूनी हैसियत को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए समुचित प्रयास किया गया है। दिव्यांग व्यक्ति को, जो प्रकृति की मार से परेशान है, उसको हक दिलाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी संवेदनशील सरकार आज तक नहीं आई है, आज तक हिन्दुस्तान के अन्दर किसी सरकार ने इतनी गहराई तक जाकर उस दिव्यांग व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने का काम नहीं किया होगा।

महोदया, व्यक्ति शिक्षा से लेकर अपने रोजगार तक की पूरी कल्पना करता है और मैं सोचता हूँ कि इस बिल में शुरू से लेकर, उसके जन्म से लेकर उसके रोजगार तक के पूरे प्रावधान किये गये हैं, चाहे भारत सरकार के कौशल विकास के काम हों। उसमें दिव्यांगों को किस प्रकार से अच्छी से अच्छी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके, उसमें क्या टैलेन्ट है, उसकी क्या योग्यता है, उस योग्यता को किस प्रकार

से सरकार के सहयोग से बढ़ाया जा सके, ताकि वह व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके और स्वाभिमान से जी सके।

जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, पुनर्वास की बात है, आने-जाने की बात है, सरकार ने समाजहित में चाहे कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, सरकारी कार्यालय हो या न्यायालय हो, कहीं भी आने-जाने के लिए उनको सारी सुविधाएँ हों, कोई कमी नहीं हो, उनकी शिक्षा में कोई विशेष सहयोग की आवश्यकता पड़े, उसके लिए भी सहयोग देने की इन्होंने पूरी कोशिश की है।

इसी प्रकार से पहले दिव्यांगों को सर्टिफिकेट लेने में बहुत तकलीफ होती थी। उस चीज़ को भी सरकार ने इस बिल में तय किया है। इसको जिला स्तर पर ले जाने के लिए, चाहे राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड हों या जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड हों, राष्ट्रीय आयोग बनाकर बिल में जो माननीय मंत्री जी ने गठन किया है कि कानूनी संरचना और पूरा ढाँचा देश से लेकर राज्यों में और राज्यों से लेकर जिलों में दिव्यांगों के हित के लिए, किस प्रकार से कानूनी सुरक्षा उनको दी जाए, किस प्रकार से उनको आर्थिक सुरक्षा दी जाए और किस प्रकार से दिव्यांगों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बढ़ाकर समाज में उनको जीने का अधिकार दिया जाए। उन दिव्यांगों के साथ यदि कोई भी व्यक्ति कोई अत्याचार या अन्याय करता है, तो उसको अपराध देने का पूर्ण प्रावधान इस बिल के अंदर है। ऐसा संपूर्ण प्रावधान इस बिल के अंदर है।

मैं माननीय सदन से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बिल को अपनी सहमति दें और इस बिल को पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016. I am so happy to see the condition of the House today. If only the Ruling Party had this intention in mind, then that debate on demonetization could have been held. … (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** ये क्या हो रहा है?

PROF. SAUGATA ROY: I will speak on this Bill only.

HON. SPEAKER: Okay, thank you.

PROF. SAUGATA ROY: I am so happy with this situation. Madam, you are sitting quietly without getting excited and the Ministers are all sitting in their seats. This is an ideal situation. Why could you not do it? I lament for this because this Session is a washout in any case. But I rise to speak on the Rights to Disabilities Bill.

The first thing I want to mention is that this Bill was brought to Rajya Sabha in 2014. At that time, Mr. Arun Jaitley, who was the Leader of the Opposition in Rajya Sabha, said that this Bill should not be passed urgently and we should send it to the Standing Committee. The Standing Committee submitted this Report in 2015 and now the Bill has come in the end of 2016. Of course, it is better late than never. But there has been two-years delay in actually passing the Bill. There is no doubt that this Bill has very many improved features for which we must commend the Government that for the first time a comprehensive legislation has been brought forward for the aid of those who are disadvantaged - some from birth, some through accidents or diseases acquired later. They are really the most unfortunate condemned people in our society. It is good that Parliament is one in passing this Bill. At least, we are, whatever our political differences are, with these very disadvantaged people. We have shown that much of humanity and compassion which is a good thing in itself.

Now, there are certain things. Mr. Venugopal has spoken at length. There are certain good features in the Bill which the Minister has also mentioned. The

main thing is that they have included 21 disabilities as part of disabilities. For instance, for the first time, autism and intellectual problem of learning disorders has been included. For the first time, learning disorders like dyslexia has been included. I did not know for a long time that there was a disease such as dyslexia. Only after seeing Aamir Khan's *Taare Zameen Par*, I came to know that there is such a learning disorder. So, now, that has also been included. And for the first time, acid attack victims who are a big problem to society have also been included.

Madam that day during the release of Bhartruhari Mahtab's book, we were talking of the problems of the old people, senior citizens and those elderly people who were hit by geriatric diseases such as Parkinson's disease. Now Parkinson's disease has also been included as a disability, which I strongly commend.

Also, for the first time, blood disorders like thalassemia and haemophilia have been included. They were not there earlier but we know what problems people with thalassemia and haemophilia disabilities are faced.

Now, I support Mr. Venugopal when he said that reservation should be increased to five per cent instead of four per cent as promised in the Bill. I hope in this atmosphere of cordiality, the Minister will accede to our request. There is no loss of prestige if you accept the Opposition's recommendation on this very important matter of reservation for the persons with disabilities. Also, there is five per cent reservation in land allotment by the Government. So, if there is five per cent reservation there, there should be five per cent reservation in employment.

Now the Central and State Advisory Boards are being formed, and our Parliament will also elect Members to the Central Board. The MLAs will also elect people to the State Advisory Boards. As Mr. Venugopal has suggested—I again support him—that the District Advisory Boards should also have representatives of the people. If you do not want MLAs and MPs, at least the District Zilla Parishad Members or some representative people should be kept in the District Advisory Boards.

Now, for the first time, a national fund for persons with disabilities is being created and it will mainly depend on Central allotments. I do hope that the Finance Ministers in future allot sufficient funds to help the persons with disabilities. There is also a Committee for Research on Disabilities, which is very good because a lot of these disabilities could be cured if there is proper training.

Now, I want to mention two points in brief. Our country is not disabled-friendly. Madam, you travel to the West very often. Every building there has got a ramp. Every transport there has got a ramp for people with orthopaedic problems. We have not been able to introduce that in our trains and in our buses, and even in some Government buildings, these ramps have not been put for the handicapped people. That should be strictly implemented. These will help the disabled.

I have been working with the disabled for many years. The National Institute for the Orthopaedically Handicapped is in my constituency in Bonhoogly. Also, branches of the National Institute of Visually Handicapped and the Hearing Handicapped are also in the same campus. But I find that the NIOH is very badly maintained and very badly managed. There is a big rush of patients there. There is not sufficient doctors, particularly doctors who can perform surgery on the orthopaedically disabled. I want the Minister to give personal attention. I sometime talk to him on improving the services at the National Institute for the Orthopaedically Handicapped.

This is my last point. Madam, many people do not know that the Central Government has a scheme to give free appliances to the handicapped. Wheelchairs, tricycles, blind sticks and hearing aids—all this is distributed free. But we have to organise camps. Now to organise the camps for thousand and two thousand people takes a lot of money. There is no help from the Government. Then, again in camps there is a problem that unless they have the disability certificate, they will not get these aids from the Government of India. So, I would request the Minister to make this problem of having certificates not compulsory, not mandatory but optional so that more people get benefited.

When the Government of India is giving the funds, we should provide this benefit to more and more people. On my request the hon. Minister has sanctioned two camps in my constituency and three camps in backward areas of West Bengal. I will again request him to organise seven more camps. I would like the rules in respect of camps to be made simple. That is why we support this Bill whole-heartedly. Now, with 59 amendments, there is not much left to amending the Bill except the reservation.

In this context, I would quote from Tagore:

> "*Hey mor durbhaga desh, jahader korechho apomaan, apomaane hote habe, tahader shabaar shaman. Manusher adhikaare bonchito korechho jaare, shammukhhe tania ene tobu kole dao nai sthan, apomaane hote habe tahader shabar shoman.* "

"O my unfortunate country, those who have been insulted, ultimately the country will be insulted by them."

So, unless we do proper justice to the disabled, we shall not be fulfilling our duties as citizens of the country.

Lastly, a Bill for the Minister is still pending. This Bill is with regard to transgender persons. We have discussed on that Bill on the Private Members' Resolution. The Minister promised that he would bring in the Bill on transgender rights. I would request him also to expedite in bringing the Bill and we will pass it unanimously again just as we are passing this Disability Bill in Parliament Session raked by controversies and disturbed by commotion. Thank you.

**श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज बिल, 2016 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज तक देश में, राज्य में जितने भी विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें कई तरह की मदद सरकार के माध्यम से दी जाती थी। जैसे कि ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्हें हर मास सौ रुपए, पांच सौ रुपए, साथ-साथ कुछ और भी तरीके की मदद उन्हें देने का प्रावधान था। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बिल के माध्यम से विकलांगों को पूरा न्याय देने का काम सरकार ने किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, समाज में अन्य उनको जो-जो हक चाहिए, वह उन्हें देने का प्रावधान इस बिल में अच्छे तरीके से किया गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि कई मास पहले, जब मैं उनसे मिला और मैंने विनती की कि मेरे क्षेत्र सिंधुदुर्ग में मुझे अपंगों की जांच करने के लिए कैंप करना है, तो उन्होंने तुरंत ही उसके लिए मंजूरी दी। जब केन्द्र सरकार के माध्यम से, वहां के जिला प्रशासन के माध्यम से, सहयोग से मैंने कैम्प किया तो साढ़े 6 हजार दिव्यांग सिर्फ एक ही जिले के उसमें आए। उनमें से करीब 3,200 दिव्यांगों को केंद्र सरकार के माध्यम से अलग-अलग सहायता देने का एक अच्छा मौका हमें प्राप्त हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि वर्षों से कई दिव्यांग, जो बिस्तर के ऊपर पड़े थे, जो बाहर नहीं घूम रहे थे, इस योजना के माध्यम से जब हमने उनको मोटराइज्ड ट्राइसिकल दी, तो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ दिव्यांग बैटरी से चलने वाली मोटराइज्ड ट्राइसिकल पर जब बाहर निकला, तो उसे जो आनन्द मिला, उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ।

माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कई दिव्यांगों को प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते हैं और कई लोगों को इन्कम सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, जिला प्रशासन को जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए, वह उतना ध्यान नहीं देता है। यह बिल जब मंजूर हो जाएगा, तब राज्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन को भी आदेश देना चाहिए कि जो-जो दिव्यांग उनके क्षेत्र में हैं, उनको तुरन्त सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मंत्री महोदय, गहलोत जी का आभार व्यक्त करता हूं और विनती करता हूं कि हर एक जिले में केन्द्र सरकार के माध्यम से विकलांगों के चिकित्सा शिविर का आयोजन करना चाहिए।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, *namaskar*.

I thank you for allowing me to speak on this very happy Bill. I would label this as a happy Bill because this has transgressed all political party barriers. The Leader of the largest Opposition Party, not the Leader of the Opposition, Shri Kharge was the Minister who had moved this Bill in the Rajya Sabha, but today unfortunately, he has been forced to sit on this side. Now, we have another Minister who is moving this Bill. We support this Bill on behalf of my leader, Shri Naveen Patnaikji, and Biju Janata Dal. I am happy to support this Bill.

In this age of bionic prosthetics, lot of research, lot of development is happening across the world, but unfortunately, in India, we are still at a very rudimentary level as far as prosthetics and connected development is concerned. We have in Odisha, between Cuttack and Bhubaneswar an ALMCO unit which produces limbs for people who have lost their limbs due to accident or any other reason. We find that in the West, they are developing limbs which can be connected to the nerves which eventually get connected to the brain so that the human being, who is given such a limb, can actually function truly like a normal person and the limb functions as a normal limb. We are far behind.

So, one part is that we do reservations, we pass the Bills and we talk about it in Parliament and the other part is encouraging research whereby the people who should be benefited by these exercises actually become a part of society and are truly and honestly accepted by their peers as normal human beings. That is the most important part.

One thing is that we can always claim that you should have more passages for the disabled to climb into buildings, give them special toilets. All that is very essential. I am not over-riding those facts, but we should also see how to amalgamate them in the normal society as a very important part. The Government has to think about that.

Madam, as you are aware, computers, some decades back, invaded our offices and homes. I am using consciously the word ‘invaded’ because they

became so widespread that they were all over. You could not live without computers. The situation became like that. Along with computers, many new diseases also came in. People had posture problems, eye-related problems and also psychological problems. These problems became so acute that you had obsessive diseases, attention deficiency syndrome and many such things. Once society is changing, we are also seeing the cropping up of new diseases which are affecting the day-to-day lives.

Here, we are talking about a new kind of society. Initially, it was called cashless society. Now, we are being told that it will be a less cash society. We do not know what this new disease, that will crop up from this cashless society, will be! So, in a situation where society is evolving, we have to be adaptable. So, this declaration by the hon. Minister that we have listed 21 shortcomings as disabilities cannot be the final word on disabilities as such.

**13.00 hours**

I will mention a few. There is something called cardiovascular chronic heart failure in which the person dies but gets bed-ridden and gets affected very acutely by that.

There is locomotory problems, which is motor problems; there is rheumatoid arthritis and osteoarthritis; neurological problems; hemiplegia kind of paralysis; brain tumour; and then people getting incapacitated due to accidents. So, there are many diseases, which are not included in this and they need to be addressed.

In page 23, paragraph 72 on District-Level Committee about which Prof. Saugata Roy the hon. Member also mentioned. There is no mention as to how that the District-Level Committee would be formed. I would suggest that the local Lok Sabha MP should be involved in forming the Committee and should be consulted, so that there is a transparency in the purpose that we want to achieve.

I can speak for quite some time. I have a lot of points, but I think that, Madam, you want to wind up quickly.

HON. SPEAKER: Yes, thank you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: In my State of Odisha, the hon. High Court has fixed a limit of 50 per cent reservation, which we have already reached. Nowadays, they are calling them 'differently-abled'. I do not know, but probably this Bill needs a change of name.

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): The United Nations Convention again came back to using 'disability'.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: So, I do not know where this one per cent reservation will come from. I would like to have some clarifications from the hon. Minister.

I, on behalf of the Biju Janata Dal, wholeheartedly support this Bill, and as a gesture, I would suggest, Madam, that all the MPs should ensure that wherever in our constituencies we have people with disabilities, let us take a vow that in the next 2 ½ years that we have before the next General Election, let us try to bring them into the mainstream of social reforms and bring them as a part of society, so that they can build in the nation building effort that all of us are trying. No one person can change this nation. All of us have to put our brains and energies together, and any concept that one person can change a country does not happen anywhere. Even Alexander got defeated and Adolph Hitler got defeated. So, all of us, under your leadership, are willing to work for the change of this country.

I support this Bill and I thank you for giving me this opportunity. Thank you, Madam.

**श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) :** माननीय अध्यक्ष जी, इनके सिर्फ उत्तर प्रदेश से 73 लोकसभा के मैम्बर्स हैं। इन्हें बता देना चाहिए था कि अब कानून आ रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण पढ़ाई मुफ्त है, न जात न पात, न परसेंट। अगड़ा है या पिछड़ा है, दलित है या हिन्दू है, मुसलमान है या क्रिस्चियन है, सम्पूर्ण पढ़ाई मुफ्त है। दवाई मुफ्त है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए कन्या विद्या धन योजना में अलग से धन दिया जा रहा है। महिला पेंशन भी अब शुरु कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति की भूख के कारण या दवा के अभाव के कारण मौत नहीं हो सकती, ऐसा प्रबंध उत्तर प्रदेश में किया गया है। यहां से लोकसभा के इनके 73 मैम्बर्स हैं, जो यूपी में हो रहा है इनको बताना चाहिए था। पढ़ाई भी मुफ्त की, दवा भी मुफ्त की और साढ़े सोलह सौ करोड़ किसानों की जमीन की नीलामी होती थी, वह कर्ज माफ कर दिया गया है। यहां कानून बना दिया है कि चाहे जितना कर्ज किसान पर हो, सरकारी या गैर सरकारी हो, किसान की जमीन नीलाम नहीं हो सकती है।

**माननीय अध्यक्ष :** आप बिल पर बोलिए।

**श्री मुलायम सिंह यादव:** यहां कन्या विद्या धन योजना, महिलाओं के लिए पेंशन है। बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, उन्हें 500 रुपए महीना दिया जा रहा है।

जहां तक सशक्त बनाने की बात है, सशक्त कहां से बनेगा? सशक्त तो तब बनेगा जब सब सशक्त हों, कोई भेदभाव न हो कि कौन अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है।

**माननीय अध्यक्ष :** यह डिसएबिलिटी बिल है।

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदया, वहां सबको सुविधा दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में एक कमेटी भेजकर समीक्षा कर लीजिए कि वहां इतनी सुविधाएं कैसी मिल रही हैं। ...(व्यवधान) यह मामूली बात नहीं है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, आप डिसएबिलिटी बिल पर बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** यह बिल डिसएबिलिटी लोगों को सशक्त बनाने का है। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई आदि सब मुफ्त है। ...(व्यवधान) वहां किसानों का कर्जा माफ किया गया है। ...(व्यवधान) किसान अशक्त है। ...(व्यवधान) आप किसान के बिना लोगों को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो पता नहीं ये कहां से विद्वान आ गये हैं? ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, क्या आप बिल का सपोर्ट कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि हर वर्ग सशक्त होगा। ...(व्यवधान) महिला सशक्त है, क्योंकि हमने अभी महिलाओं को पैंशन दे दी है। ...(व्यवधान) लड़कियों को पैंशन दे दी है। ...(व्यवधान) आप किसे सशक्त बना रहे हैं? ...(व्यवधान) हमें सबको सशक्त बनाना है। ...(व्यवधान) पूरे देश के लोगों को हमें सशक्त बनाना है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, यह डिसएबिलिटी बिल है, इसलिए आप उस पर बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदया, आप समझ लीजिए, क्योंकि यह मामूली बात नहीं है। ...(व्यवधान) सशक्त का अर्थ चार फीसदी या पांच फीसदी है। ...(व्यवधान) इसका क्या मतलब है? ...(व्यवधान) दो फीसदी, चार फीसदी या दस फीसदी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबको समान अधिकार मिले और समाज में कोई भेदभाव न हो। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, यह डिसएबिलिटी बिल है।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आप इसे मामूली बात मत कहें। ...(व्यवधान) हमने देश के लिए आदर्श काम किया है। ...(व्यवधान) आप इस बात को समझिए कि अगर निशक्त को सशक्त बनाना है तो शुरू से ही सबको सशक्त बनाइये। ...(व्यवधान) किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) वहां न दलित है, न बैकवर्ड है, न अपर क्लास है और न कुछ और है। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिहं जी, यह बिल अपंगों के लिए है।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** हम महिलाओं को पांच सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, यह बिल अपंगों के लिए है, इसलिए आप उस पर बोलिए।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** हम सुन रहे हैं कि सशक्त बना रहे हैं, तो आप किसे सशक्त बना रहे हैं? ...(व्यवधान)

**श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर):** मुलायम सिंह जी, आपने डिसएबल्ड लोगों के बारे में बता दिया है। ...(व्यवधान) आपकी बात दर्ज हो गयी है। ...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** मैं वही बता रहा हूं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिहं जी, यह बिल अपंगों के लिए है। आपकी बात रिकार्ड हो गयी है।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** इस पर बहस हो रही है, तो कम से कम यू.पी. वालों को मत बताइये। ...(व्यवधान) यू.पी. से 73 लोग लोक सभा के सदस्य हैं। ...(व्यवधान) आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी अभी सदन से चले गये हैं। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, यह बिल अपंगों के लिए है। आप सपोर्ट में है और आपका सपोर्ट नोट हो गया है। ...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** आप चार फीसदी किसमें सशक्त बनाना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** यह बिल अपंगों के लिए है।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** यह परसेंटेज क्या है? आप परसेंटेज में लेखपाल लिखाइये ...(व्यवधान) तहसीलदार लिखाइये। इसी में सारा हो जायेगा। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मुलायम सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदया, यह उठाने वाली बात है। ...(व्यवधान) हम आपकी बात मान जायेंगे। ...(व्यवधान) लेकिन आप इन्हें समझाइये। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हम उन्हें समझा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I am feeling very happy because I can go back home today with the tremendous satisfaction that I could speak something to justify the salary that I am taking from the Parliament. I am justified in taking my salary today, Madam. For the past 15 days, I was feeling very bad because I was not justified to take my salary.

Madam, I not only support this Bill on behalf of the Telugu Desam Party, but also we congratulate the Minister for having conducted a lot of Handicap Camps in Andhra Pradesh. We congratulate and really appreciate your efforts and we request you to conduct more such Camps in future. Those Camps which were conducted were tremendously successful. Everywhere, it has become tremendously successful. They have particularly sanctioned one Stadium in Visakhapatnam for the handicapped persons.

HON. SPEAKER: Very good.

DR. RAVINDRA BABU: Madam, in this Bill, I find that there are certain glaring, discernible variations. Instead of taking so many pains in dwelling on so many disorders, they could have written simply as ‘congenital and acquired disorders’. ‘Congenital’ means ‘those defects that are present at birth’, and ‘acquired’ means ‘those defects that are developed after birth’ either by injury, social pressure or intellectual pressure. There are so many depressive tendencies, or depressive psychosis.

There are certain glaring omissions in this Bill, Mr. Minister, Sir. For example, Motor Neurone Disorder is one such disease. The famous scientist, Mr. Stephen Hawking, used to suffering from this disease, yet he had achieved a lot of things. Similarly, Mr. John Nash suffered from Schizophrenia. However, Schizophrenia has not been mentioned here; Depressive psychosis has also not been mentioned here.

Madam, most of the persons with the disorders which were elaborated in the Bill, excepting those who are visually-handicapped, hearing-handicapped,

locomotor-handicapped, they are unfit to use the reservation. There are people who have got the numerical age of two or three years. There are persons who are 40 years or fifty years of age but they behave as though they are two year or three year old children. Instead of giving reservations to those handicapped persons, let us give financial support to those families where these persons are born so that this support system will at least give them some food and will take care of them.

My another suggestion is that instead of giving reservations to the handicapped person, the brother or sister or any of the persons who are taking care of these persons can be given reservation. Under the guidance and active support of Shri Chandrababu Naidu garu, we are giving pension of Rs.1500 to all the handicapped persons in Andhra Pradesh. On the day one, the money is deposited in their account on a computer precision basis. All the handicapped persons in Andhra Pradesh are very happy. I would like to congratulate the Minister for conducting camps for the handicapped. I would request him to conduct more such camps in future. I thank you.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Madam, I thank you for allowing me to speak on this very important legislation.

First of all, I would truly like to congratulate the Government and the hon. Minister for bringing in such a wonderful legislation. He has not only increased the scope and definition of disability but I am very happy that he has accepted majority of the recommendations made by the Committee. This only reflects how the parliamentary system is working and how the work done by the Members in the Committee is respected and taken into consideration by the hon. Minister. I congratulate him for that. As a woman Member, I truly appreciate the efforts made by all the activists who said that the disability as a result of acid attack also should be considered. I also thank the hon. Minister for adding the acid attack victims as a part of this definition.

Apart from the good things, there are only two or three major demands which all the hon. Members have been asking for across the party lines. When we have increased the number of disabilities, why did we reduce the percentage of reservation as compared to the proposed Bill of 2014? In the Bill of 2014, the recommendation was to have five per cent reservation. But, now it is being reduced to four per cent. Many of the Members have moved amendment to this effect also. I would sincerely urge the Government to consider these amendments. Many Members including me have moved these amendments.

Apart from this, there is a Commissioner who takes care of the provisions of the disability as provided by the Government. But, they are not taken seriously. Many times, the Courts have simply rejected the recommendations made by the Commissioner and the person with disability could not get his right. I would sincerely requested that यह चैरिटी नहीं होनी चाहिए। एक राइट-बेस्ड एप्रोच होनी चाहिए। डिसएबल्ड पर्सन्स को एक डिग्निटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए। अगर यह मिलनी है तो we should form a Commission both at national and State levels. These Commissions should be on par with the Backward Classes Commission, SC Commission and ST

Commission. Then only the right of the disabled persons can be sincerely exercised.

I wanted a clarification from the hon. Minister. I have seen a report in a newspaper which said that persons with a disability will be given a colour-coded identity card. If that is true, if there is a proposal like that, my sincere suggestion is that पूरे देश भर में कतार लगा-लगाकर लोग थक गये हैं। वापस एक और कतार शुरु मत कीजिए। आधार कार्ड में अगर उनके बारे में आप कुछ प्रोविजन्स कर सकते हैं कि आधार कार्ड itself can say that this person is disabled. That will be much more easier. इससे विकलांगों को वापस कतार में जाकर खड़े होने की मुश्किल से आप उनको बचा पाएंगे। हमारे क्षेत्र सिकन्दराबाद, तेलंगाना में there is the Institute of Mental Health. It is absolutely in chaos. There is no budgetary support; there is not very good monitoring. आप इस पर जरा ध्यान दीजिए। इसके साथ ही मैं यही कहना चाहती हूं कि हमारी तेलंगाना सरकार ने सारे विकलांगों को 1500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की थी। बाद में चंद्राबाबू नायडू जी ने हमारी स्प्रिट से आन्ध्र प्रदेश में भी उसको इम्पलीमेंट किया है। ...(व्यवधान) It is good to be inspired by the good policies. I truly congratulate him.

मैडम, अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर हम एक राइट बेस्ड अप्रोच से काम करेंगे तो जितने भी डिसेब्लड हमारे देश में हैं, उनको लगेगा कि it is not our disability that counts but it is our ability that counts. I sincerely believe that this Bill will create such an ecosystem in the country. I truly support this Bill on behalf of my party and my leader. Thank you.

**श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) :** अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले मंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं, वे जब मंत्री नहीं बने थे, तब से वे हमारे पुराने मित्र हैं। इस बिल को पारित कराने का श्रेय उन्हें जाता है और आपको भी श्रेय जाता है। जो बिल उस सदन में ढाई साल से लम्बित था, हम उस बिल को यहां एक दिन में पारित कर रहे हैं। जो लोग यह कहते हैं कि लोक सभा में काम नहीं होता है, वे देख सकते हैं कि काम अगर ढंग से किया जाए, तो एक दिन में भी काम कर सकते हैं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अगर काम करना चाहें, तो एक दिन में बहुत काम हो सकता है।

**श्री मोहम्मद सलीम:** अध्यक्ष महोदया, इस बिल को हम लाए हैं, चूंकि यह यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है कि वर्ष 2007 में यह पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि हम एबिलिटी-डिसेबिलिटी के सवाल को किस तरह से देखेंगे। यूनाइटेट नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स आफ परसन विद डिसेबिलिटीज, यूएनसीआरपीडी, 2007 और भारत उन देशों में से है, जिसने सबसे पहले इस पर साइन किया। हमें सात साल लग गए, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि उस समय दूसरी सरकार थी, हमें सात साल इस बिल को लाने में लग गए। उस सदन में इसे पारित करने में ढाई साल लग गए और हम यहां इसे एक दिन में पारित कर रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है।...(व्यवधान)

महोदया, दूसरी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी ने मई, 2015 में रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इस दौरान जो राइट्स की बात कर रहे हैं, जैसा कविता जी ने जो कहा है, वह सही बात है कि जो डिसेबिलिटी के बारे में जो संस्थाएं काम करती हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, दर्जनों संस्थाएं हैं, कुछ नेशनल प्लेटफार्म्स हैं, कुछ आल इंडिया बाडीज हैं, 3 दिसम्बर को हम डिसेबिलिटी डे मनाते हैं, पूरे देश में वह पहले से संघर्ष करती आ रही हैं और इस अधिकार के लिए लड़ी हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि उनकी मांग की वजह से हम यहां बाय-पार्टिशन होकर इसे पारित कर रहे हैं।

इसमें कुछ अच्छे प्रावधान भी लाये गये हैं, उनके लिए भी मैं सराहना करता हूं। इस बिल को पुराने बिल से ज्यादा स्ट्रेंदन किया गया है, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कम समय है लेकिन अच्छी बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शासकीय जो पहलू हैं, इसमें सबसे बड़ा डिस्क्रिमनेशन का सवाल आता है, जिससे एटीट्यूड में भी फर्क आता है। जैसे-जैसे शिक्षा में बदलाव आ रहा है, सामाजिक एटीट्यूड में बदलाव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो लेजिस्लेशन में नहीं था, उसकी आपने डेफिनेशन दी है और साइन लैंग्वेज, आडियो विजुअल, विजुअल किया, यह बहुत अच्छी बात है। यह अच्छी बात है, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, उसके बारे में है। अच्छी बात यह है कि आप प्राइवेट एनटीटी को भी इसके

दायरे में ले आए हैं, वे सरकार की तरफ से तो होते थे लेकिन हमारे यहां निजी क्षेत्र जिस तरह से बढ़ रहा है, उन्हें भी आपने इसमें शामिल किया, यह बहुत अच्छी बात है।

महिलाएं और बच्चे हमारे समाज में पिछड़े और कमजोर हैं, बच्चों को वोटिंग राइट नहीं है, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और जिनको डिसेबिलिटी होती है, उन्हें और ज्यादा परेशानी होती है। उनके लिए खास कर जैंडर सैंसिविटी इस बिल में है, इसे भी मैं सराहता हूं।...(व्यवधान) सर्टीफिकेट के बारे में कविता जी ने भी कहा है, मैं स्वयं अपने क्षेत्र में, बंगाल में जब मंत्री था और काफी समय विधायक और सांसद रहा हूं, उस समय से मैं देखता रहा हूं कि सर्टीफिकेट के बारे में कोर्डिनेट मूव नहीं होता है। मंत्री जी बिल लाए हैं, लेकिन जहां राज्य सरकार का मामला है, सोशल वेलफेयर विभाग है, उसके साथ हैल्थ विभाग में लैक ऑफ कोर्डिनेशन होती है, जब हम उनके लिए कैम्प लगाते हैं तो इन तमाम संस्थाओं को एक साथ लाना पड़ता है वरना परेशानी होती है और माइग्रेंट लेबरर्स का सर्टीफिकेट बंगाल, बिहार, यूपी में जो माना जाता है, उसे दिल्ली में कहते हैं कि स्वीकार नहीं किया जाता है, इसे आपने अच्छा किया है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को ऑल इंडिया में वैध कर सकते हैं तो इस तरह के सर्टीफिकेट्स को भी करना चाहिए। इन्हें आधार कार्ड के साथ लिंक करने की बात कही है। स्मार्ट कार्ड की बात कही जाती है, नोट में चिप की बात कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा सर्टीफिकेट होना चाहिए जो कि पूरे देश में चलने वाला यूनीवर्सल सर्टीफिकेट हो, जिससे कि उन्हें परेशानी न हो। जैसे फेक नोट बाजार में आ जाते हैं, वैसे ही फेक सर्टीफिकेट भी आ सकते हैं, इसमें अगर आप आसानी करें और सही ढंग से कोर्डिनेशन हो, तो अच्छा रहेगा।

यहां भाषण में तो ताली बज गई कि तीन से चार परसेंट कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल बिल में पांच परसेंट आरक्षण की बात कही गई थी, उसे आपने चार परसेंट किया है। इस परसेंटेज को कम कर दिया है, यह परसेंट पांच होनी चाहिए। आपने दायरा बढ़ाया है, ऑटीज़म वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से सदस्यों ने टेक्नीकल बात भी कही, 21 ऐसे मामलों को आपने जोड़ा है, लेकिन पांच परसेंट आरक्षण न करके चार परसेंट रखा है और एमबिट दायरे को बढ़ा देंगे तो यह सही उपलब्धि नहीं होगी। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए था। एक बात पनिशमेंट की भी है। सिविल सर्विस में नियुक्ति से लेकर निचले स्तर तक हमारे ब्यूरोक्रेसी में या एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं, उन्हें पनिशमेंट का ओरिजिनल बिल में जो प्रावधान था, उसे डायलूट कर दिया है, वह पनिशमेंट रखनी चाहिए थी वरना लोगों की परेशानी कम नहीं होगी।

महोदया, मैं आखिरी में एक मांग रखना चाहता हूं, जैसा सौगत राय जी ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आर्थोपिडिकली हैंडिकैप जो बोनोगिली में है, बहुत प्रैसटीजियस इंस्टीट्यूट है, वह आपके

अंडर है। उस पर लोगों को भरोसा है और जो नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ है, उसका बंगाल में ईस्टर्न इंडिया और नार्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए एक ब्रांच होनी चाहिए। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों को बैंगलुरू में जाना पड़ता है, आप अगर एनआईओएच को भी मार्डेनाइज करते हैं और उसके साथ निमहंस की ब्रांच वहां लगाते हैं, उसके लिए आपको राज्य सरकार से जमीन की जरूरत नहीं होगी, वहां सुविधा है, इस तरह से आप मेंटल हैल्थ को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं और स्पैस्टिक्स हैं और ऑटीज़म के शिकार हैं, ऐसे जो दूसरे लोग हैं, जो तारे जमीन पर आ रहे हैं, उन्हें आप पूरा आसमान तो दे नहीं सकते हैं लेकिन उनकी हालत को सुधार कर जमीन तो दे सकते हैं। उनके लिए सेवा या दान की भावना नहीं हो, बल्कि उन्हें अधिकार दिया जाए। हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने की हमारी जो ड्यूटी है, उसमें वे अपनी जिम्मेदारी भी स्वयं निभा सकें।

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Hon. Speaker Madam, thank you very much for giving me this opportunity. I also congratulate the hon. Minister for bringing a wonderful piece of legislation. India is among the first countries to adopt the United Nation's Rights for Persons with Disabilities. But we must say that India is most unfriendly as far as disabled people are concerned. We do not have even a single building in States or at national level which is disabled-friendly. In fact, the Supreme Court has pointed out that even the private sector people are doing better than the Centre and the States and has directed the Government of India to identify at least 50 buildings to make them totally disabled-friendly. I hope that we will take a lesson from that.

I want to point out here that our country is so unfriendly as far as disabled people are concerned that several people are leaving this country because either they are disabled or their children or grandchildren are disabled. I will give one example here which will teach us a lesson. One Mr. Napoleon, three-time Member of Legislative Assembly and former Central Minister and Member of Parliament, had to leave the country and settle in the USA for the simple reason that his grandchild is disabled. The disabled people are not able to live with dignity as the infrastructure is so unfriendly here.

Coming to the reservation for disabled persons, I must say that I am also part of that because I am on the Parliamentary Standing Committee as far as reservation is concerned. There is a huge backlog and we do not have a monitoring system as far as the Government of India is concerned. Although we had earlier earmarked three per cent and now we are trying for four per cent reservation for them, we do not have a monitoring mechanism to ensure that whatever percentage is earmarked will go to the disabled persons. This is more important than earmarking the percentage itself.

Secondly, 70 per cent of the disabled persons are living in rural areas. We do not have a clear cut policy for disabled persons who are living in rural areas.

In the private sector also, we request that the reservation should be implemented. Otherwise, for the six per cent of disabled people as per the Census, we can never provide dignity unless we provide them a decent living.

We need to have special schemes for the upliftment of these people. The Government has to come in a big way to include them. Special schemes are very much required for social and economic development of these people. A legal status has to be provided for these people. Whenever anybody criticises them, just as the other communities have their strength from the Constitution, these people should also be provided legal status.

There is no sports infrastructure as far as India is concerned for the disabled people. I earnestly request the hon. Minister to provide some sports infrastructure at the district level so that those people can also feel a part of that.

About 80 per cent of the disabled people are living in the southern part of the country. Therefore, it is extremely important that we have a proper policy on this. More than the Act, a monitoring system is more important. I hope, the Government will look into the monitoring aspect.

Thank you.

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

दिव्यांगों के इस बिल के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। आज पूरे देश में दिव्यांगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आपने कहा है कि इसे तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत किया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे पाँच प्रतिशत किया जाए। कई लोगों ने इस बात को कहा है कि इसे पाँच प्रतिशत होना चाहिए। दिव्यांगों की संख्या बढ़ती जा रही है।

मेरा यह भी कहना है कि दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनना चाहिए। देश के स्तर पर उसका सर्वे हो, उसके साथ जो भी परेशानियाँ हों, उनका निराकरण किया जाए, चाहे सरकार से उनको यंत्र न मिलने की बात हो, जो भी कठिनाई हो, उसे देखकर, उनकी सुविधा के लिए व्यवस्था की जाए।

माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार है। वहाँ दिव्यांगों में कोई मापदण्ड नहीं है। वहाँ सभी विधवा महिलाओं को पेंशन भी दिया जाता है। उसी आधार पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप दिव्यांगों के लिए तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन की व्यवस्था करें। उसमें कोई मापदण्ड न हो।

दिव्यांगों के लिए रेलवे स्टेशनों पर जो आरक्षण दिये जा रहे हैं, उनमें भी कमी है। मेरा अनुरोध है कि उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था हो। अस्पतालों में जब ये लोग इलाज कराने जाते हैं, तो वहाँ उनके लिए अलग से नम्बर नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि उनके लिए अस्पतालों में भी व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने में निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैंने इस बिल को संक्षेप में पढ़ा। मैं माननीय मंत्री जी को दो-चार सुझाव देना चाहूँगा। यह एक बहुत ही गंभीर बिल है। इस बिल के प्रौपर इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि क्यों न हम इसकी शुरुआत देश के प्राइमरी और सेकेण्डरी स्कूलों से करें। इसे सरकारी स्कूलों में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी इसे मेनडेटरी किया जाए। जो डिसेबल किड्स हैं, कम से कम उनके लिए पूरे तौर पर रिज़र्वेशन हो। आज जितने भी बड़े-बड़े स्कूल हैं, जो पाँच-सात लाख रुपए शुल्क लेते हैं, उनमें एक भी डिसेबल बच्चा एडमिशन नहीं लेता है। सरकार को उन स्कूलों में पाँच प्रतिशत सीट आरक्षित करनी चाहिए, जिसके तहत उस बच्चे को यह अधिकार मिले ताकि वह बड़े स्कूल में पढ़ पाए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक प्लेसेज़ हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जहाँ सुबह से शाम तक पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पर दिव्यांगों के लिए सुविधाएँ प्रदान की जाएं, चाहे टॉयलेट्स बनाने की सुविधा हो, चाहे स्टेयर्स के स्थान पर लिफ्ट बनाने की हो।

मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा। बच्चों की बीमारियाँ- सिरेब्रल पैलेसी, न्यूरो डिजीजेज़ आदि हैं, ऐसी परिस्थिति में बच्चों की ऐसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके माता-पिता को भी उनके साथ जाना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार को कम से कम सार्वजनिक परिवहन में उन बच्चों के माता-पिता को भी सपोर्ट करने की फैसिलिटी भी इस बिल के माध्यम से दी जाए।

मुझे मालूम है कि आज इस सत्र का आखिरी दिन है और सभी को घर जाने की जल्दी है। लेकिन यह एक अहम बिल है। इसके लिए एक नैशनल कमीशन फॉर पीपुल्स विद डिसैबिलिटीज बनानी चाहिए। जहां मूलभूत समस्याएं हैं, वहां के लिए हम अधिकारी उपलब्ध करवाएं। पेज 23 पर प्वाइंट नंबर 72 पर लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी With disabilities होंगी। उस कमेटी में जो स्थानीय सांसद हैं, उनको उसमें सरकार को जगह उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सांसद वहां उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** अध्यक्ष महोदया, मुझे खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। हमारे आदरणीय नेता आडवाणी जी की चिंता ने सदन को आज एकत्रित कर दिया है।

महोदया, मैं मत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इसके कारण के पीछे जाने की आवश्यकता है, जैसे कुपोषण है, गरीबी है, स्वच्छता है, उनके लिए पौष्टिक खाना उपलब्ध न होना इत्यादि। कानून तो बहुत बने हैं और भविष्य में भी बनेंगे। आपने स्कूल की बात कही और मैं भी कह रहा हूं कि स्कूलों में मैंडेटरी किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 20 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है, क्या उनका वहां एडमिशन हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब तक आप दिव्यांगों के लिए शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तब तक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन उनका दूर नहीं होगा। जब तक कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है, तब तक उसको सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता है। एनजीओ लूट का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी एनजीओस जो विकलांगों और दिव्यांगों के नाम से लूट रही हैं, उन पर सरकार की दृष्टि होनी चाहिए। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष :** आप एक ही बात कहकर अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री राजेश रंजन:** महोदया, इसमें गरीबी भी सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा एक्प्लोइटेशन, सामाजिक शोषण, कुपोषण इत्यादि है। पानी में आर्सेनिक भी एक कारण है।

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री राजेश रंजन :** मेरा कहना है कि शैक्षणिक आधार को आर्थिक आधार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष :** आप बिल को सपोर्ट कीजिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री राजेश रंजन :** मैं पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं कि दिव्यांग और विकलांग को कम से कम तीन से पांच हजार रुपये पेंशन देने की गारंटी दी जानी चाहिए। यह उनके सामाजिक और आर्थिक आधार को डेवलप करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा एक आयोग बनाने की आवश्यकता है। जहां तक जनप्रतिनिधि की बात है, मैं एमपी या एमएलए की बात नहीं करूंगा, सामाजिक रूप से किसी न किसी जनप्रतिनिधि की इसमें भागीदारी जिला स्तर पर रखी जानी चाहिए।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मि. मिनिस्टर।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठ जाइए, आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है।

**श्री थावर चंद गहलोत :** अध्यक्ष महोदया, लगभग 13 सदस्यों ने इस बिल पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपने सुझाव भी दिए हैं। दो-तीन माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है और संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिव्यांग-जनों के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें हर स्तर पर प्रावधान किए गए हैं। माननीय वेणू गोपाल जी ने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी यह लागू होना चाहिए। रिकॉग्नाइज संस्थाएं, चाहे वह प्राइवेट हों या कोई भी हों, मान्यता प्राप्त होने के कारण उन पर इसके प्रावधान लागू होंगे। इसलिए यह धारणा कि यह केवल सरकारी संस्थानों पर ही लागू होगा, निरर्थक है। यह उन प्राइवेट संस्थाओं पर भी मान्य होगा जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। जो संस्थाएं मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनको इस प्रकार का काम करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें ऑलरेडी व्यवस्था है।

इसके अलावा आरक्षण के परसेंटेज के बारे में भी बात कही गयी। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांग-जन देश में हैं, जो भारत की जनसंख्या का 2.2 परसेंट है। अभी तक तीन प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था थी, अब हम सात श्रेणियों की बजाय 21 श्रेणियां बना रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी संख्या में वृद्धि होगी। परंतु जो 21 श्रेणियां बढ़ी हैं, उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन जो सात श्रेणियां हैं, उनमें अधिकांश श्रेणियां कवर होती हैं और इस आधार पर अभी जो आकलन किया है, वह चार प्रतिशत व्यावहारिक होगा। अगर हमने यहां अव्यावहारिक निर्णय लिया तो आगे अनेक प्रकार की कठिनाइयां होगी। इस बात को ध्यान में रखकर हमने यह प्रावधान किया है। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि राज्य और केन्द्र के बजट या आर्थिक संसाधन को आधार बनाकर आप ये सुविधाएं देने वाले हैं। देश की आजादी के बाद यह मान्य परम्परा है। उस मद में बजट का प्रावधान होता है। उस बजट प्रावधान को ही हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। परंतु हमने इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की है कि कोई भी दिव्यांग भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं होगा, यह मैं आश्वस्त करना चाहूंगा।

महोदया, इसके साथ-साथ आयोग की बात भी हुई। हमने अनुभव किया है कि जो आयोग हैं, वे केवल सरकारों को सलाह देने का काम करते हैं। उसे इम्पलीमैन्ट करना है या नहीं करना है, यह सरकार ही तय करती है। उससे ऐसा लगता है कि इससे और ज्यादा पावरफुल संस्थान बनाने की आवश्यकता है, इसलिए हमने कमिश्नरी स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। आयुक्त प्रणाली पावरफुल होगी और जैसा मैंने बताया कि उसमें एक मुख्य आयुक्त होगा और दो आयुक्त होंगे, उसमें दिव्यांगजनों का भी एक प्रतिनिधि होगा, यह केन्द्र और राज्य स्तर दोनों पर होगा।

इसके अलावा जो बोर्ड की बात है, हमने इसमें केन्द्र और राज्य सरकार लैवल पर एजवाइजरी बोर्ड बनाने का प्रावधान किया है। अनेक माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि यह जिला लैवल पर भी बनना चाहिए। इस बिल की मंशा उसके अनुरूप है। हम राज्यों के साथ नियम बनाते समय और इम्पलीमैन्ट करते समय निरंतर सम्पर्क करेंगे और प्रयास करेंगे कि वे इस आशय की समितियां बनायें। जहां तक उसमें जनप्रतिनिधि सम्मिलित करने की बात है तो केन्द्रीय बोर्ड में हमने प्रावधान किया है कि इसमें तीन सांसद होंगे, जिनमें दो लोक सभा से होंगे और एक राज्य सभा से होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इनकी संख्या पांच कर दी जाए। परंतु अभी हमने महसूस किया है कि तीन ही पर्याप्त है। जहां तक विधायकों के प्रतिनिधित्व का सवाल है, हम आश्वस्त करते हैं कि नियम बनाते समय राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके प्रयास करेंगे कि राज्य स्तर पर जो बोर्ड होंगे, उनमें उनको भी सम्मिलित करने का काम करें।

जहां तक पर्सन्स विद डिसएबिलिटी के नाम का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लैवल पर आज की तारीख में यही नाम मान्य है। अंतर्राष्ट्रीय लैवल पर हम जिस आधार पर यह कानून बना रहे हैं, वहां इसी नाम को दर्शाने की आवश्यकता है। परंतु मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री जी ने यह महसूस किया कि निःशक्तजन कहने पर उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, उसे पीड़ा होती है और यह धारणा बनती है कि वह निःशक्त है या विक्लांग करने पर सीधे उसे देखा जाता है कि उसमें क्या विक्लांगता है, उसका कौन सा अंग भंग है। इसलिए हमारे यहां एक प्रसिद्ध और सम्मानजनक शब्द रहा है - दिव्यांग। इस शब्द को दिव्यांग शब्द करने का उन्होंने हमें संकेत दिया, निर्देश दिया, आदेश दिया। हमने राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट किया, पत्र-व्यवहार किया, उनसे राय मांगी। एक-दो राज्यों को छोड़कर सब राज्यों ने दिव्यांग शब्द को स्वीकार करने की सहमति दी। इसके साथ ही साथ हमने एन.जी.ओज. को तथा गैर-सरकारी संगठनों में इस क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनसे भी राय मांगी। उन्होंने भी दिव्यांग शब्द को स्वीकार करने की सहमति दी। खुशी की बात है कि इस देश में जो पहले विक्लांगजन सशक्तिकरण नाम था, अब हमारे विभाग और हमारे विभाग की जितने भी प्रकार संस्थाएं हैं, उन सबका नाम दिव्यांगजन कर दिया है, यह खुशी की बात है।

इसके अलावा एन.आई.ओ.एच. एक्ट के तहत सर्विस में डाक्टरों की संख्या बढ़ाये जाने की बात है। यह जो अधिनियम बनने वाला है, इस अधिनियम में आलरेडी इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की बात आई। हमने इस पर निर्णय लिया है। यह बात सही है कि अभी एक जिले में कलक्टर की अध्यक्षता में मैडिकल बोर्ड होता है, इसमें मैडिकल लाइन के डाक्टर्स भी होते हैं और दिव्यांगता के स्पेशलिस्ट्स भी होते हैं। वे निर्णय करके परिचय पत्र बनाकर देते हैं। एक जिले का

प्रमाण पत्र दूसरे जिले में नहीं चलता है, एक राज्य का प्रमाण पत्र दूसरे राज्य में नहीं चलता है। हमने निर्णय लिया है कि हम ऑल इंडिया लैवल पर युनिवर्सल आइडेन्टिटी कार्ड बनाकर देंगे। एजेन्सी फिक्स हो गई है, उसका कार्य भी प्रारम्भ हो गया है और उसे आधार से जोड़ने का उसमें प्रावधान किया है।

इसके अलावा एलिमको के बारे में बात आई थी। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने यह काम किया है। एलिमको घाटे में जाने की स्थिति में था, परंतु उसका विस्तार करने के लिए, उसमें मोडिफिकेशन करने के लिए हमने लगभग पौने तीन सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसमें खुशी की बात यह है कि जर्मन की एक आटोवाक नामक संस्था है, जो दिव्यांगों के उपकरण बनाने में स्पेशलिस्ट है। वह आधुनिक हाथ, पैर बनाती है। व्यक्ति उससे लिखना, पढ़ना, पानी का गिलास, चाय का कप आदि उठाकर जैसा जीवन पहले जीता था, उसी तरह का जीवन जीने की स्थिति में आ सकता है। उसके साथ हमने एम.ओ.यू. किया है।

इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन की एक मोटिवेशनल संस्था है, इन दोनों से हम उनकी टैक्नोलोजी ले रहे हैं और हमारी टैक्नोलोजी वे प्राप्त कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि यहां आए थे, सात-आठ महीने पहले उन्होंने एलिमको आकर काम प्रारम्भ कर दिया है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आधुनिक तौर पर जैसे हाथ-पैर होने चाहिए, वैसे ही उन्होंने बनाने प्रारम्भ कर दिये हैं और हमने इनमें से कुछ बांटने का काम भी किया है। वे पांव ऐसे होंगे कि आप उनसे लांग जम्प भी कर सकते हैं, हाई जम्प भी कर सकते हैं और एथलेटिक प्रतियोगिता में दौड़ने में भी प्रतिभागी होकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उपाय हमने किये हैं।

डिसएबिलिटी की परिधि को बढ़ाये जाने के भी कुछ सुझाव आए हैं। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कभी यह महसूस होगा, विधिवत प्रक्रिया को अपनाने के बाद यह निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि इसमें मैडिकल लाइन के लोग और डिसएबिलिटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वे सब बैठकर डिसाइड करते हैं कि डिसएबिलिटी क्या है और बीमारी क्या है। अगर यह निर्णय निकलेगा कि यह डिसएबिलिटी की परिभाषा में आता है तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि संसद में आए बिना विभाग इस प्रकार का निर्णय ले सकेगा और मैं सोचता हूं कि हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

इसमें रिजर्वेशन की बात भी आई है। मैंने पहले ही बता दिया है कि होरिजोन्टल के आधार पर हमने निर्णय लिया है और यह व्यावहारिक है। अगर इससे कुछ भिन्न करने की कोशिश की गई तो अनेक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। जिला स्तर की समिति की बात मैंने बता दी है। हम हर जिले में कैम्प आयोजित करते हैं। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि हमने इन सवा दो सालों में 4,500 से अधिक

कैम्प आयोजित किये हैं और 5 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया है। साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उस पर खर्च की गई है।

महोदया, एक खुशी की बात मैं और बताना चाहूंगा कि हमने इन दिनों में तीन वर्ल्ड रिकाड्र्स भी बनाये हैं। एक रिकार्ड आस्ट्रेलिया के नाम था, उन्होंने आठ घंटे में तीन सौ लोगों को सुनने की मशीन उपलब्ध कराई थी। हमने नवसारी में आठ घंटे में 600 लोगों को वे मशीनें उपलब्ध कराकर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है। उसके बाद अपने ही रिकार्ड को हमने सुधारा है। मणिपुर के इम्फाल में पांच नवम्बर को 3911 लोगों को हियरिंग मशीन उपलब्ध कराई हैं। वहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड की टीम आई थी, उन्होंने भी उसे वर्ल्ड रिकार्ड घोषित किया है। इसके अलावा एक रिकार्ड और बना है, उस दिन प्रधान मंत्री जी का जन्म दिन था। उस कार्यक्रम के अवसर पर एक हजार बच्चों ने जमीन पर पंगत में बैठकर तीस सेकेंड में दीपावली के दिन जो दीये जलाये जाते हैं, वे दिये जलाये और उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित किया गया। जो 80 परसेन्ट से ज्यादा दिव्यांग हैं, जो चल ही नहीं सकते, वे खड़े नहीं हो सकते हैं, चलना तो दूर की बात है, उनको मोटर से चलने वाली मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देने का निर्णय किया। उस निर्णय के आधार पर हमने अभी तक तीन हजार से ज्यादा दिव्यांगों को वह सुविधा उपलब्ध कराई है। केवल सुविधा ही उपलब्ध कराई, इतना ही नहीं, हमने उससे आगे बढ़कर यह निर्णय लिया है और उस पर अमल भी किया है। हमारे यहाँ दिव्यांग वित्त विकास निगम है। उसकी तरह से हम उनको कौशल प्रशिक्षण देते हैं। कौशल प्रशिक्षण के बाद स्वावलम्बी बनाने के लिए धनराशि भी देते हैं। चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जो लोग खड़े नहीं हो सकते थे, वे आज चलने लगे हैं, कमाने लगे हैं। जो अपने परिवार के ऊपर डिपेन्ड थे, आजकल वे परिवार वालों की भी सेवा करने लगे हैं। जो लोग सुनते नहीं हैं, जो बोलते नहीं हैं, उनको काक्लीअर यन्त्र की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए 6 लाख रूपए प्रति व्यक्ति अनुदान देते हैं। अभी तक 471 बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराई है। खुशी की बात है कि वे सब सुन रहे हैं, बोल भी रहे हैं और प्रधान मंत्री जी से उन्होंने मन की बात भी की थी।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी की अच्छी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप चिन्ता मत कीजिए।

**श्री थावर चंद गहलोत :** अगर मैं सभी माननीय सदस्यों के सुझावों पर चर्चा करूँगा तो समय ज्यादा लगेगा।

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपनी बात कहिए।

**श्री थावर चंद गहलोत :** मैं सदन की भावनाओं को ध्यान में रखकर यह आश्वस्त करता हूँ कि हमने इन दो सालों में इस विभाग को जीवन्त बनाया है, सक्रिय बनाया है, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से इसकी पहचान

बनाई है। इस बिल को पास करने के बाद हम और ज्यादा सक्रिय होकर तेज गति से दिव्यांगों के हित का काम करेंगे, उनका सशक्तीकरण करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

**Clause 2 Definitions**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 13?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

> " Page 3, line 22,-
>
> *after* "the Constitution"
>
> *insert* "and constituted under article 243Q and 243B of the Constitution". (13)

Madam, my amendment is relating to the Constitutional provision of article 243Q and 243B of the Constitution. It is regarding the Panchayat Raj institutions and also the Nagar Palika institutions and it is a very positive suggestion from my side. Madam, you may kindly accept my Amendment No. 13.

HON. SPEAKER: I may now put amendment No. 13 moved to clause 2 by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clauses 3 to 6 were added to the Bill.*

**Clause 7 Protection from abuse, violence and exploittion**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

" Page 6, line 13,-

*for* "Judicial or Metropolitan Magistrate"
*substitute* "police or such authorities"." (14)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 14 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 7 was added to the Bill.*

*Clauses 8 to 11 were added to the Bill.*

**Clause 12 Access to Justice**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

"Page 6, line 44,-

*after* "commission"
*insert* ",executive magistrate"." (15)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No.15 to clause 12 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 12 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 12 was added to the Bill.*

**Clause 13 Legal Capacity**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:

"Page 7, line 33—

*after* "undue influence"

*insert* ",coercion, cruelty or fraud"." (16)

Madam, undue influence is there along with coercion, cruelty and fraud. It is equivalent to all these definitions.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 16 to clause 13 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 13 was added to the Bill.*

**Clause 14 Provision for Guardianship**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:

"Page 7, line 41,-

*omit* "or the designated authority, as the case may be,"" (17)

"Page 7, lines 44 and 45,-

*omit* "or the designated authority, as the case may be,"" (18)

"Page 8, line 4,-

*for* "designated authority"

*substitute* "district court"." (19)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 17 to 19 to clause 14 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 14 was added to the Bill.*

*Clause 15 was added to the Bill.*

**Clause 16 Duty of Educational Institutions**

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I beg to move:

"Page 8, line 16,--

*after* "recognised by them"

*insert* "including private and unaided educational institutions"." (1)

Madam, there are a lot of unaided institutions in the country. This is an important amendment. So, the Government should accept this amendment.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 1 to clause 16 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 16 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 16 was added to the Bill.*

*Clauses 17 and 18 were added to the Bill.*

**Clause 19 Vocational training and Self employment**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:

"Page 9, line 24,-

*after* "provision of"

*insert* "financial assistance, grant, subsidy and"." (20)

"Page 9, line 34,-

*after* "concessional rate"

*insert* ",financial assistance, grant, subsidy"." (21)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 20 and 21 to clause 19 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 19 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 19 was added to the Bill.*

*Clauses 20 to 23 were added to the Bill.*

**Clause 24 Social Security**

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I beg to move:

"Page 10, lines 35 and 36,--

*omit* "within the limit of its economic capacity and development"" (2)

"Page 10, line 40,--

*for* "twenty-five per cent."
*insert* "thirty per cent."." (3)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 2 and 3 to clause 24 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

*The amendments were put and negatived.*

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:

"Page 11, line 3,-

*after* "access to"

*insert* "food, home,"." (22)

Madam, access to safe drinking water is there. My point is, along with access to safe drinking water, food and home should also be ensured by the Government. It is a harmless amendment. This may be accepted.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 22 to clause 24 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 24 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 24 was added to the Bill.*

*Clauses 25 to 29 were added to the Bill.*

**Clause 30 Sporting activities**

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I beg to move:

"Page 12, *after* line 49,--

*insert* "(g) provide extra points to the winners of the disability specific sporting events and reservation for them in government jobs."." (4)

Madam, the amendment aims to promote sports activities of disabled persons. Here, I am asking the Government for reservation in government jobs for those who win in sports events for disabled persons. This may be accepted.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 4 to clause 30 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 30 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 30 was added to the Bill.*

*Clause 31 was added to the Bill.*

**Clause 32 Reservation in higher educational institutions**

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I beg to move:

"Page 13, line 11,--

*after* "institutions"

*insert* "including private and unaided institutions"." (5)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 5 to clause 32 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 32 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 32 was added to the Bill.*

*Clause 33 was added to the Bill.*

**Clause 34 Reservation**

HON. SPEAKER: Shrimati Kavitha Kalvakuntla, are you moving your amendment No. 6?

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Yes, Madam.

I beg to move:

"Page 13, line 24,--

*for* "four per cent."

*substitute* "five per cent."." (6)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I am also moving it… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** आप नहीं, उन्होंने कर दिया।

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, just a minute.

**माननीय अध्यक्ष :** आपने तो बोल दिया, आपका भाषण भी अच्छा हो गया।

SHRI K.C. VENUGOPAL:This is the most important amendment. When the then Minister, Mr. Mallikarjun Kharge-ji introduced that Bill, at that time, percentage of reservation was five. But now, the Government in this Bill has reduced it to four per cent. Actually, when a greater number of disabilities is being brought under the purview of the Act, how can it be reduced?… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay.

I shall now put amendment No. 6 moved by Shrimati Kavitha Kalvakuntla to the vote of the House.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, we want Division.

HON. SPEAKER: Let the Lobbies be cleared--

I think, the Lobbies have been cleared.

Now, Secretary-General to announce the procedure of electronic vote recording. Everybody knows it but still he has to announce.

SECRETARY-GENERAL: Madam, there is only one announcement. Hon. Members, who have not been allotted Division Numbers so far, will be supplied at their seats with Ayes/Noes printed slip for recording their votes. On the slips, they

may kindly record the votes of their choice by signing and writing legibly their names, identity card numbers given to them temporary/permanent identify cards supplied to the Members, Constituency and State/Union Territories and the date at the place specified on the slip. Members who decide to record abstention, may ask for the abstention slip.

HON. SPEAKER: The question is:

"Page 13, line 24,-

*for* "four per cent."

*substitute* "two per cent.". "

*The Lok Sabha divided:*

**DIVISION** **AYES** **13.53 hours**

Antony, Shri Anto

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Bhuria, Shri Kanti Lal

Bose, Prof. Sugata

Chaudhary, Shri Santokh Singh

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan

De(Nag), Dr. Ratna

Dev, Kumari Sushmita

Engti, Shri Biren Singh

Gandhi, Shrimati Sonia

Ghosh, Shrimati Arpita

Gogoi, Shri Gaurav

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Hooda, Shri Deepender Singh

Kalvakuntla, Shrimati Kavitha

Khan, Shri Md. Badaruddoza

Kharge, Shri Mallikarjun

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Santosh

Kumar, Shri Shailesh

Meinya, Dr. Thokchom

Moily, Shri M. Veerappa

Mondal, Shrimati Pratima

Mukherjee, Shri Abhijit

Muniyappa, Shri K.H.

Nagesh, Shri Godam

Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Poddar, Shrimati Aparupa

Premachandran, Shri N.K.

Ranjan, Shrimati Ranjeet

Rathwa, Shri Ramsinh

Roy, Prof. Saugata

Samal, Dr. Kulmani

Satpathy, Shri Tathagata

Singh, Shri Ravneet

Trivedi, Shri Dinesh

Varma, Shrimati Dev

Venugopal, Shri K. C.

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Tej Pratap Singh

Yellaiah, Shri Nandi

**NOES**

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Chakravarty, Shrimati Bijoya

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri P.P.

Chaudhary, Shri Ram Tahal

Chhewang, Shri Thupstan

Choubey, Shri Ashwini Kumar

Danve, Shri Raosaheb Patil

Dattatreya, Shri Bandaru

Devi, Shrimati Rama

Devi, Shrimati Veena

Dhurve, Shrimati Jyoti

Dohre, Shri Ashok Kumar

Dubey, Shri Nishikant

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Geete, Shri Anant Gangaram

Geetha, Shrimati Kothapalli

Gurjar, Shri Krishanpal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kashyap, Shri Virender

Kataria, Shri Rattan Lal

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kumar, Dr. Arun

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Shri Ashwini

Kushawaha, Shri Ravinder

Kushwaha, Shri Upendra

Manjhi, Shri Hari

Meghwal, Shri Arjun Ram

Mishra, Shri Janardan

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri M. Murli

Munda, Shri Karia

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Nagar, Shri Rodmal

Narasimham, Shri Thota

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Paatle, Shrimati Kamla

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri Sanjay Kaka

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Radhakrishnan, Shri Pon

Raju, Shri Ashok Gajapathi

Ram, Shri Janak

Ram, Shri Vishnu Dayal

Rathore, Shri Hariom Singh

Ray, Shri Ravindra Kumar

Rijiju, Shri Kiren

Sahu, Shri Lakhan Lal

Saini, Shri Rajkumar

Sanjar, Shri Alok

Sarmah, Shri Ram Prasad

Sarswati, Shri Sumedhanand

Sawant, Shri Arvind

Shekhawat, Shri Gajendra Singh

Shetty, Shri Gopal

Shewale, Shri Rahul

Shinde, Dr. Shrikant Eknath

Shyal, Dr. Bhartiben D.

Siddeshwara, Shri G. M.

Sigriwal, Shri Janardan Singh

Simha, Shri Pratap

Singh, Dr. Jitendra

Singh, Dr. Yashwant

Singh, Kunwar Bharatendra

Singh, Shri Ganesh

Singh, Shri Nagendra

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R. K.

Singh, Shri Radha Mohan

Singh, Shri Rajnath

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Solanki, Dr. Kirit P.

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Supriyo, Shri Babul

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thakur, Shrimati Savitri

Udasi, Shri Shivkumar

Usendi, Shri Vikram

Vardhan, Dr. Harsh

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

**ABSTAIN**

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

HON. SPEAKER: Subject to correction, the result of the Division is:

Ayes: 43

Noes: 121

Abstain: 001

*The motion was negatived.*

HON. SPEAKER: Shri K.C. Venugopal, are you moving your Amendment No. 7 to Clause 34?

SHRI K.C. VENUGOPAL : I beg to move:

"Page 13, line 27,-

*for* "one per cent,"

*substitute* "two per cent."." (7)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.7 to Clause 34 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

*The motion was put and negatived*

**14.00 hours**

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 34 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 34 was added to the Bill.*

**Clause 35 Incentives to employers in private sector**

HON. SPEAKER: Shri K.C. Venugopal, are you moving your Amendment No. 8 to Clause 35?

SHRI K.C. VENUGOPAL : I beg to move:

"Page 14, lines 6 and 7,-

*omit "*, within the limit of their economic capacity and development,". (8)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.8 to Clause 35 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

*The motion was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 35 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 35 was added to the Bill.*

*Clause 36 was added to the Bill.*

**Clause 37 Special schemes and development programmes**

HON. SPEAKER: Venugopal *ji*, are you moving Amendment No.9 to clause 37?

SHRI K.C. VENUGOPAL : Yes, Madam.

I beg to move:

"Page 14, *after* line 25, –

*insert* "(d) special wards in each central, state and private medical college for persons with disabilities.". (9)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 9 to clause 37 moved by Shri K.C. Venugopal, to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 37 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 37 was added to the Bill.*

*Clauses 38 to 40 were added to the Bill.*

**Clause 41 Access to transport**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment No. 24 to clause 41?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam.

I beg to move:

"Page 15, lines 16 and 17,-

*for* "railway stations and airports"

*substitute* "railway stations, airports and such other public places". (24)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.24 to clause 41 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 41 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 41 was added to the Bill.*

*Clause 42 was added to the Bill.*

**Clause 43 Consumer Goods**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 25 to clause 43?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam.

I beg to move:

"Page 15, line 38,-

*after* "persons with disabilities"

*insert* "and ensure their availability at concessional rate". (25)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.25 to clause 43 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 43 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 43 was added to the Bill.*

*Clauses 44 to 51 were added to the Bill.*

**Clause 52 Revocation of registration**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos. 26 and 27 to clause 52?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Madam, I am not moving it.

HON. SPEAKER: Thank you.

The question is:

"That clause 52 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 52 was added to the Bill.*

*Clauses 53 to 59 were added to the Bill.*

**Clause 60 Constitution of Central Advisory Board on Disability**

HON. SPEAKER: Venugopal ji, are you moving Amendment No.10 to clause 60?

SHRI K.C. VENUGOPAL : No, Madam, I am not moving it.

HON. SPEAKER: Thank you.

The question is:

"That clause 60 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 60 was added to the Bill.*

*Clauses 61 to 64 were added to the Bill.*

**Clause 65 Functions of Central Advisory Board on Disability**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 28 to clause 65?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Madam, I am not moving it.

HON. SPEAKER: Thank you.

The question is:

"That clause 65 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 65 was added to the Bill.*

**Clause 66 State Advisory Board on Disability**

HON. SPEAKER: Venugopal ji, are you moving Amendment No.11 to clause 66?

SHRI K.C. VENUGOPAL : No, Madam, I am not moving it.

HON. SPEAKER: Thank you.

The question is:

"That clause 66 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 66 was added to the Bill.*

*Clauses 67 to 70 were added to the Bill.*

**Clause 71 Functions of State Advisory Board on Disability**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 29 to clause 71?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, Madam, I am not moving it.

HON. SPEAKER: Thank you.

The question is:

"That clause 71 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 71 was added to the Bill.*

*Clause 72 was added to the Bill.*

**Clause 73 Vacancies not to invalidate proceedings**

HON. SPEAKER: Venugopal *ji*, are you moving Amendment No.12 to clause 73?

SHRI K.C. VENUGOPAL: No, Madam, I am not moving it.

HON. SPEAKER: Thank you.

The question is:

"That clause 73 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 73 was added to the Bill.*

*Clauses 74 to 77 were added to the Bill.*

**Clause 78 Annual and Special reports by Chief Commissioner**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos. 30 and 31 to clause 78?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving Amendment No. 31; I am moving amendment No. 30 only.

I beg to move:

"Page 25, line 13,-

*after* "Central Government"

*insert* "on or before 25th of April every year". (30)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.30 to clause 78 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

*The amendment was put and negatived.*

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 78 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 78 was added to the Bill.*

*Clauses 79 to 102 were added to the Bill.*

*The Schedule was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula, Preamble and the Long Title were added to the Bill*

**श्री थावर चंद गहलोत :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं,

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I want to say something.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रेमचन्द्रन जी, अब क्या हो गया?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, it is a landmark legislation in the history of Parliament legislative mechanism in India. I fully support the Bill and it will definitely comply with the provisions of the UN Convention.

**माननीय अध्यक्ष :** अब सब मिलकर जोर से आई बोलें।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I have only one suggestion. At the time of implementation, some monitoring mechanism should be there because almost all the provisions in the Bill are important. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

HON. SPEAKER: Now, the Lobbies may be opened.

---

## 14.11 hours

## VALEDICTORY REFERENCE

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोकसभा का आज दसवां सत्र जो 16 नवंबर, 2016 को आरंभ हुआ था, अब समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान सभा की 21 बैठकें हुईं जो लगभग 19 घंटे 26 मिनट चलीं।

इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य का निपटान किया गया। सभा में वर्ष 2016-17 के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (जनरल) और वर्ष 2013-14 के लिए डिमांड्स फॉर एक्सेस ग्रांट्स (जनरल) पर संयुक्त चर्चा हुई, तत्पश्चात मांगों पर मतदान हुआ तथा संबंधित एप्रोप्रिएशन बिल्स (विनियोग विधेयक) पारित हुए।

इस सत्र के दौरान नौ सरकारी विधेयक इंट्रोड्यूज किए गए, जबकि टैक्सेशन लॉज़ (सैकिण्ड अमेंडमेंट) बिल, 2016 तथा द पर्सन्स विद डिसएबिलिटी बिल, 2016 पारित किए गए।

सत्र के दौरान 449 स्टार्ड क्वैशचन्स को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें से 49 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन प्रतिदिन लगभग 2.3 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष स्टार्ड क्वैशचन्स के लिखित उत्तर 5060 अनस्टार्ड क्वैशचन्स के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्न काल के पश्चात् सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के 124 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत भी 311 मामले उठाए।

स्थायी समितियों ने सभा में 50 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

''डिमोनेटाइजेशन आफ करेंसी नोट्स'' विषय पर नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध की गई थी, तथापि, चर्चा आंशिक रूप से ही हो पाई।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 47 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के बारे में चार वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1772 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

इस सत्र में, व्यवधानों के पश्चात् बाध्य होकर सभा स्थगित किए जाने के कारण 91 घंटे 59 मिनट का समय नष्ट हुआ, जो हम सभी और विशेषतः मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है और इससे जनता में हमारी छवि धूमिल होती है।

मुझे आशा है कि आगामी सत्रों में कोई व्यवधान नहीं होगा और हम सभी बेहतर ढंग से कार्य करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप सार्थक चर्चाएं एवं सकारात्मक विचार-विमर्श होंगे। मुझे सभा के सभी नेताओं और सदस्यों से समर्थन मिलने का विश्वास है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष और सभापति तालिका (पैनल ऑफ चेयरमैन) में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों के प्रति, जो कुछ भी सहयोग उन्होंने दिया है, कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं सभी संबद्ध एजेंसियों को सभा की कार्यवाही के संचालन में प्रदान की गई उनकी सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूं।

मैं आने वाली क्रिसमस और नये साल के अवसर पर आप सभी को तथा आपके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देती हूं। मैं आशा करती हूं कि आगामी नव वर्ष हमारे जीवन में नई आशा और नई ऊर्जा का संचार करेगा तथा हम यह सार्थक रूप से संकल्प लें कि नव वर्ष में हम यह सुविचारित निर्णय लेंगे कि हम सभी उपलब्ध संसदीय माध्यमों का प्रयोग करते हुए अपने मतभेद, असहमति, यदि कोई हो, तो पुरजोर ढंग से दर्ज कराएंगे एवं यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे कि सभा में कम से कम व्यवधान तथा अधिक से अधिक संवाद और चर्चाएं हों।

---

**14.16 hours**

## NATIONAL SONG

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब ''वन्दे मातरम्'' की धुन बजाई जाएगी।

*(The National Song was played.)*

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die.*

**14.17 hours**

*The Lok Sabha then adjourned sine die.*